समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

ओ.ए. संख्या **165** **सन 2021**

गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

आपत्ति

विषय :– उपरोक्त मामलें में पारित आदेश दिनांक 25–01–2022 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा प्रेषित अन्तरिम आख्या दिनांक 02–04–2022 के संबंध में आपत्ति।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि उपरोक्त मामलें में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–01–2022 के क्रम में उत्तरदाताओं (संबंधित अधिकारी–गणों) द्वारा सच्चाई छुपाकर, मात्र खानापूर्ति के नाम मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी अन्तरिम आख्या दिनांक 02–04–2022 प्रेषित की है, **"उपरोक्त मामलें में पैरवी कर रहे याचिकार्ताओं के ऊपर उत्तरदाताओं द्वारा जानलेवा हमले कर झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजने और जान से मारने की धमकियां के डर और दहशत के कारण सह–याचिकार्ताओं ने उपरोक्त मामलें में किसी भी प्रकार की शिकायत एवं पैरवी करना बंद कर दिया है,"** इस लिए अब केवल आपत्तिकर्ता द्वारा ही निम्नलिखित आपत्ति प्रस्तुत की जा रही हैः–

1. यह कि उपरोक्त मामलें में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–01–2022 के क्रम में उत्तरदाताओं ने अवैध निर्माणकर्ताओं, अतिक्रमणकर्ता, विकासकर्ताओं और भू–माफियाओं को लाभ पहुंचाने एवं अतिक्रमण व अवैध निर्माण को बचाने के लिए, याचिकार्ताओं को डरा धमका कर, झूठे मुकदमे लगाकर एवं झूठे मुकदमे में जेल भेजकर तथा सच्चाई छुपाकर मात्र खानापूर्ति के नाम पर आधा–अधूरा स्थलीय निरीक्षण कर व अभिलेखों के तथ्यों को छुपाकर एवं बिना परिक्षण किए मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी आख्या तैयार करके तथा माननीय न्यायाधिकरण को गुमराह करने के उद्देश्य से प्रेषित की गई अन्तरिम आख्या दिनांक 02–04–2022 खारिज होने योग्य है।

2. यह कि उपरोक्त मामलें में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–01–2022 के क्रम में उत्तरदाताओं द्वारा प्रेषित अन्तरिम आख्या दिनांकित 02–04–2022 एवं आदेश दिनांक 12–07–2021 के क्रम में उत्तरदाताओं द्वारा प्रेषित स्थलीय आख्या (Status Report) दिनांकित 22–11–2021 और एक्शन टेकन रिपोर्ट दिनांकित 21–01–2022 में लक्ष्मी तालाब और नगर पार्क की भूमि के अवैध निर्माण, अतिक्रमण के संबंध में जो भी तथ्य अंकित किये गए है, वो केवल अवैध निर्माणकर्ताओं, अतिक्रमणकर्ता, विकासकर्ताओं और भू–माफियाओं लाभ पहुंचाने और उनके अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों को बचाने एवं अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों कराने/संरक्षण देने वाले अधिकारियों को बचाने के लिए अंकित किए गए है।

3. **यह कि मंडलायुक्त महोदय, के कथनानुसार**– लक्ष्मीतालाब की भूमि को मूल स्वरूप में लाने उसके जल को संरक्षित करने, प्रदूषित पदार्थों को तालाब में न जाने देने, तालाब की भूमि के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक व पर्यावरण सम्बन्धित महत्व के दृष्टिगत विकसित करने के सम्बन्ध में नगर आयुक्त नगर निगम झाँसी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। गठित समिति द्वारा बैठके करके तथा स्थलीय निरीक्षण करके लक्ष्मी तालाब की भूमि एवं इसके निकट नगर पार्क हेतु मास्टर प्लान 2021 में आरक्षित निजी काश्तकारों की भूमि के सम्बन्ध में अन्तरिम आख्या तैयार की गई है।

जब कि वास्तविकता/सत्यता यह है कि– पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झांसी महायोजना में प्रस्तावित नगर पार्क और भूजल संरक्षण, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिगत प्राचीन काल में विकसित ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे व अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने और अवैध कॉलोनियां बसाने वालों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से समिति ने न तो लक्ष्मी तालाब की सीमाओं की पैमाईश कर सीमाओं का निर्धारण/चिन्हांकन किया और न ही नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब की भूमि के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों व अनाधिकृत कब्जों का सर्वे कर इनको हटाने की कार्यवाही की है। इससे स्पष्ट होता है कि नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे व अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने और अवैध कॉलोनियां बसाने वालों से मिलीभगत होने का कारण जिलाधिकारी महोदय, ने नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब की भूमि के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों व

अनाधिकृत कब्जों को बचाने के लिए, समिति द्वारा मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी अन्तरिम आख्या तैयार कराकर मा. न्यायाधिकरण को गुमराह करने के उद्देश्य से प्रेषित की है जो खारिज होने योग्य है।

लक्ष्मी तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण

4. **यह कि नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी के कथनानुसार–** वर्तमान में झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लक्ष्मी तालाब का विकास एवं उसके सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। लक्ष्मी तालाब परियोजना का मुख्य उद्देश्य लक्ष्मी तालाब में गिरने वाले दुषित जल को रोकते हुए उसका विकास करना तथा आस–पास के क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण का कार्य करना है जिससे इस तालाब की ओर जन–मानस आकर्षित हों एवं मानव जीवन हेतु वातावरण की गुणवत्ता में सुधार हो।

जब कि वास्तविकता/सत्यता यह है कि– लक्ष्मी तालाब की भूमि के अतिक्रमण एवं अतिक्रमणकारियों को बचाने के उद्देश्य से लक्ष्मी तालाब का विकास एवं उसके सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। लक्ष्मी तालाब के अतिक्रमण एवं अतिक्रमणकारियों को बचाने के उद्देश्य से ही जलमगन रहने वाले लक्ष्मी तालाब के क्षेत्र को कम करने के लिए लक्ष्मी तालाब के अवैध कब्जा/अतिक्रमण को बचाते हुए तालाब के अन्दर विकास कार्य एवं पाथवे का निर्माण कराया जा रहा है। इस विकास कार्य एवं पाथवे के निर्माण से लक्ष्मी तालाब के मूल स्वरूप और अस्तित्व बिगड़ने के साथ साथ लक्ष्मी तालाब के जल भराव में लगभग 50% ज्यादा की कमी आ जायेगी। जिससे आस–पास के क्षेत्र के जल स्तर में गिरावट आने के साथ साथ जीव–जन्तुओं के लिए घातक सावित होगा। लक्ष्मी तालाब के अन्दर बनाएं जा रहे पाथवे और विकास कार्यों को सीघ्र रुकवाया जाना और लक्ष्मी तालाब को अवैध कब्जा/अतिक्रम मुक्त कराकर मूल स्वरूप में संरक्षित कर विकसित किया जाना अतिआवश्यक है। यहां यह उल्लेखनीय है कि शहर के नालों का जहरीला एवं दुर्गंध देने वाला गंदा पानी लक्ष्मी तालाब के साथ साथ राजकीय उद्यान नारायाण बाग में भी जा रहा है, जिससे नारायाण बाग में उपरोक्त नालों का गंदा पानी कीचड़ दलदल के रूप में जमा हो गया है जिसके कारण वहां स्थित हरे भरे वृक्ष सूखते जा रहे है, इस जहरीले पानी को पीने से नारायाण बाग के कई पशु–पक्षी एवं जीव–जन्तुओं बीमार होकर मर/वितुप्त हो चुके है। तथा नारायाण बाग में शुद्ध वातावरण की आशा से आने वाले लोगों को इस दलदल/कीचड़ की दुर्गंध से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

5. **यह कि नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी के कथनानुसार–** लक्ष्मी तालाब की भूमि की पैमाईश राजस्व विभाग और DGPS/टोटल स्टेशन सर्वे के माध्यम से भी करायी गयी है जिसके अनुसार भी लक्ष्मी तालाब का कुल रकवा 33.068 हेक्टेयर है एवं अतिक्रमित रकवा 0.258 हेक्टेयर है।

जब कि वास्तविकता/सत्यता यह है कि– अधिकारियों ने कागजी कार्यवाही की औपचारिकता पूरी करने के उद्देश्य से मात्र खाना पूर्ती का नाम पर लक्ष्मी तालाब की भूमि की आधी–अधूरी पैमाईश राजस्व विभाग और DGPS/टोटल स्टेशन सर्वे के माध्यम से करायी गयी है। जिसका वास्तविक पैमाईश से कोई संबंध नहीं है।

नगर पार्क की भूमि पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण

6. **यह कि उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण के कथनानुसार**– लक्ष्मी तालाब के निकट नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि का कुल क्षेत्रफल 170.48 हे. है, इसमें 44.74 हे. सरकारी भूमि है तथा 125.74 हे. निजी काश्तकारों की है। सरकारी भूमि पर नारायण बाग के नाम से नगर पार्क विकसित है। निजी काश्तकारों की भूमि का अधिग्रहण धनाभाव के कारण प्राधिकरण द्वारा अभी तक नहीं किया जा सका है। इसलिए निजी काश्तकारों की भूमि पर नगर पीर्क का वांछनीय विकास नहीं हो सका है।

जब कि वास्तविकता/सत्यता यह है कि– उपरोक्त अन्तरिम आख्या में नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि का कुल क्षेत्रफल 198.38 हेक्टेयर है जिसका स्पष्ट उल्लेख "झांसी महायोजना 2021" की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 7 पर किया गया है। **जिसमें राजकीय उद्यान नारायण बाग, राजकीय परिक्षेत्र सुन्दर पुरी, राजकीय हजारी बाग पौधशाला, नया तालाब, पिछोर तालाब एवं सरकारी पहाड़ी, रास्ते व बंजर, तालाब आदि की लगभग 250 एकड़ भूमि शामिल है।** इससे स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं द्वारा अवैध निर्माणकर्ताओं, अतिक्रमणकर्ता, विकासकर्ताओं और भू–माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर मा. न्यायाधिकरण को गुमराह करने के उद्देश्य से बार बार मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी अन्तरिम आख्या प्रेषित की जा रही है।

7. **यह कि उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण के कथनानुसार**– लक्ष्मी तालाब के निकट नगर पार्क की निजी काश्तकारों की भूमि का रकवा 125.74 हे. में से 100.42 हे. पर पर्ष 1970 से लेकर अब तक आबादी विकसित हो जाने के कारण इस स्थल पर नगर पार्क बनाया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

नगर पार्क हेतु प्रस्तावित कुल रकवा 170.48 हे. में से रकवा 25.32 हे. भूमि रिक्त है जो अलग अलग टुकड़ों में स्थित है जिस कारण इसको अर्जित करके नगर पार्क बनाया जाना व्यवहारिक नहीं है।

जब कि वास्तविकता/सत्यता यह है कि– "झांसी महायोजना 2021 की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 7 पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मीताल के निकट स्थित नारायण बाग एवं समीप की आसपास की भूमि पर 198.38 हेक्टेयर क्षेत्र को नगर पार्क के रूप में पर्यावरण की दृष्टि से विकसित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। "**नगर पार्क की भूमि पर 12.4 हेक्टेयर में प्रतिकूल आवासीय विकास हो गया है।**" "इससे स्पष्ट होता है कि नगर पार्क का 27.9 हेक्टेयर रकवा कम बताया गया है। एवं वर्ष 2005 में लागू की गई झांसी महायोजना 2021 में प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि 198.38 हेक्टेयर क्षेत्र में से मात्र 12.4 हेक्टेयर भूमि पर अवैध निर्माण हुआ था। जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज संदर्भ संख्या 40016621010879 पर दिनांक 03.07.2021 में जेडीए सचिव द्वारा लगाई गई आख्या में उल्लेख किया गया कि नगर पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि पर 500 भवन निर्मित है। **यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त नगर पार्क शहर की आबादी एवं 83 ऐकड़ के लक्ष्मी तालाब से लगा हुआ है जिसमें राजकीय उद्यान नारायण बाग, राजकीय परिक्षेत्र सुन्दर पुरी, राजकीय हजारी बाग पौधशाला, नया तालाब, पिछोर तालाब एवं सरकारी बंजर, पहाड़ी आदि की लगभग 100 हेक्टेयर भूमि शामिल है। जिसको झांसी महानगर के पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु नगर पार्क के रूप में विकसित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।** इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं ने नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब की भूमि के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों व अनाधिकृत कब्जों का सर्वे कराये बिना मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी अन्तरिम आख्या तैयार कराकर मा. न्यायाधिकरण को गुमराह करने के उद्देश्य से प्रेषित की जो खारिज होने योग्य है।

8. **यह कि समिति की तथाकथित अन्तरिम आख्या के अनुसार–** वर्तमान में विकास प्राधिकरण क्षेत्र में महायोजना– 2021 प्रभावी है तथा महायोजना–2031 प्राधिकरण द्वारा तैयार करायी जा रही है। शीघ्र ही इसका प्रभावी होना प्रस्तावित है। महायोजना–2031 तैयार करते समय अन्य आरक्षित भूमि के भू–उपयोग के साथ ही नगर पार्क हेतु आरक्षित इस भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में सुझाव/आपत्तियां प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जाना प्रस्तावित है।

जब कि उक्त कथन की वास्तविकता/सत्यता यह है कि– झांसी महायोजना में पर्यावरण एवं हरियाली और मनोरंजन से संबंधित प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण व अनाधिकृत कब्जा करने और अवैध कॉलोनियां बसाने वाले अवैध निर्माणकर्ताओं, अतिक्रमणकर्ता, विकासकर्ताओं और भू–माफियाओं से सांठगांठ कर इनको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से महायोजना में प्रस्तावित नगर पार्क की (नारायण बाग की बाउंड्री–वॉल से लगी हुई) भूमि को उत्तरदाताओं द्वारा आवासीय में परिवर्तन करने के उद्देश्य से झांसी महायोजना–2031 (प्रारूप) तैयार कराई गयी है। इसी कारण से मा. न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन में झांसी प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) के कर्मचारियों–अधिकारियों की ओर से महायोजना में प्रस्तावित उक्त नगर पार्क की भूमि के अवैध निर्माणों का न तो सर्वे किया गया है और न ही उन अवैध निर्माणों के विरुद्ध हटाने/रोकने की कार्यवाही की जा रही है।

9. **यह कि उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 12–07–2021 के अनुपालन के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, द्वारा प्रेषित की गई स्थलीय आख्या (Status Report) दिनांक 22–11–2021 के विरुद्ध याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 17–12–2021 में साक्ष्य सहित सही–सही तथ्यों में तहरीर किया गया है। जिन्हें पुनः संक्षिप्ता के कारण दोहराया नहीं जा रहा है इसलिए उन्हें इस आपत्ति में अडॉप्ट किया जाता है जो इस आपत्ति का भाग माना जावें।**

अतिरिक्त कथन

"नगर पार्क की हरे भरे एवं जलमग्न क्षेत्र में रहने वाली 100.42 हे0 भूमि को आवासीय में परिवर्तन"

10. यह कि शासन द्वारा 12 अक्टूबर 1984 को झाँसी विकास प्राधिकरण का गठन कर तैयार करायी गयी झाँसी महायोजना–2001 में झांसी महानगर के पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु लक्ष्मीताल के निकट नगर पार्क विकसित करने के लिए 198.38 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई जो दिनांक 1 जनवरी 2005 को लागू की गई वर्तमान झाँसी महायोजना–2021 में भी विद्यमान है। **जिसका स्पष्ट उल्लेख झांसी महायोजना 2021 की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 7 पर पैरा नबंर 5.5.1 में किया गया है** :–

5.5.1 लक्ष्मीताल के निकट नगर पार्क

नगर के पूर्व में स्थित लक्ष्मीताल के निकट स्थित नारायण बाग एवं समीप की आसपास की भूमि पर 198.38 हेक्टेयर क्षेत्र को नगर पार्क के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव था। नारायण बाग का

स्थल सुरक्षित है एवं विकास कार्य प्रगति पर है लेकिन इसके समीप आरक्षित नगर पार्क की भूमि पर 12.4 हेक्टेयर में प्रतिकूल आवासीय विकास हो चुका है। वहां दिन प्रतिदिन अनधिकृत निर्माण का कार्य प्रगति पर है फिर भी वर्तमान में बहुत बड़ा क्षेत्र नगर पार्क हेतु उपलब्ध है जिसको सुरक्षित करना पर्यावरण एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।

11. यह कि उक्त नगर पार्क की भूमि पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण कराकर अवैध कॉलोनियां बसाने व इनको बचाने में संलिप्त झांसी प्रशासन के उच्चाधिकारियों व सदस्यों एवं झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव, त्रिभुवन विश्वकर्मा आदि द्वारा तैयार करायी गई नई **झांसी महायोजना–2031 (प्रारूप)** को झांसी विकास प्राधिकरण की 83वी बोर्ड बैठक दिनांक 13–04–2022 में अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसमें आपत्ति देने की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2022 नियत की गई है। जिसमें उक्त नगर पार्क के क्षेत्र 198.38 में से 100.42 हे0 क्षेत्र (नारायण बाग की बाउंड्री–वॉल से लगी हुई) को आवासीय में परिवर्तन कर दिया गया है। **जिसका उल्लेख झांसी महायोजना–2031 (प्रारूप) की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 43 पर पैरा नबंर 6.1 में किया गया है :–**

6.1 विभिन्न प्रस्तावित भू–उपयोग

झॉसी विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 13.04.2022 को हुए निर्णय अनुसार महायोजना–2021 में लक्ष्मी तालाब के निकट प्रस्तावित नगर पार्क क्षेत्र 125.74 जोकि निजी काश्तकारों की भूमि है में से 100.42 हे0 भूमि को आवासीय में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया है क्योंकि उक्त भूमि पर आवासीय एवं अनावासीय निर्माण गत 50 वर्षों में हुआ है। प्रस्तावित नगर पार्क की शेष भूमि निजी काश्तकारों की 25.32 हे0 भूमि यद्यपि पैंचिस में है परन्तु बोर्ड के निर्णयानुसार उसे नगर पार्क में यथावत रखा गया है।

12. यह कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उक्त मामलें में पारित अपने आदेश दिनांक 25–01–2022 में पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु आरक्षित/संरक्षित हरित पट्टिका, पार्क, क्रीड़ा स्थल/खेल के मैदान आदि की भूमियों के अनाधिकृत कब्जे व अवैध निर्माण/अतिक्रमण और उक्त को भूमियों को आवासीय में परिवर्तन किए जाने को लेकर निम्न नजीरों का उल्लेख किया गया है :–

17. Maintenance of water body is prime responsibility of statutory authorities as well as statutory regulators under Environmental Laws and other enactments dealing with public health and similar issues. Similarly, a land reserved for green belt/park in the Master Plan whether belongs to State or private owners cannot be allowed to be used for raising any construction. With respect to the area reserved for 'green belt/park', it has been repeatedly held by Supreme Court that such spaces cannot be changed to residential or commercial one.

18. In **Lal Bahadur v. State of UP & Others, (2018)15SCC407**, change of master plan and converting green area into residential one was considered. The issue was, whether such conversion is conducive to protection of environment or not. In the master plan of 1995 of Lucknow, area in dispute was reserved as green belt. In master plan 2021, the same area, shown earlier as green belt, was converted as residential. This part of master plan 2021 was challenged before Lucknow bench of Allahabad High Court. Writ petition was dismissed. The matter came in appeal before Supreme Court. Court held in para 12 of judgment that change of area from green belt to residential is in violation of Article 21, 48A and 51A(g) of the Constitution. Reliance was placed on **Bangalore Medical Trust v B.S. Muddappa & Others, (1991)4SCC54**, wherein Court had said that protection of environment, open spaces for recreation and fresh air, playground for children, promenade for the residents and other conveniences or amenities are matters of great public concern and a vital interest to be taken care of in a development scheme. Public interest in the reservation and preservation of open spaces for parks and playgrounds cannot be sacrificed by leasing or selling such sites to private persons for conversion to some other use. Court also relied on an American Supreme Court Judgment **Agins vs. City of Tiburon, [447 us 255 (1980)],** wherein Court said: '... it is in the public interest to avoid unnecessary conversion of open space land to strictly urban uses, thereby

protecting against the resultant adverse impacts, such as ..... pollution, ... destruction of scenic beauty, disturbance of the ecology and the environment, hazards related geology, fire and flood, and other demonstrated consequences of urban sprawl'.

19. In para 15, Court said that, "This Court had clearly laid down that **such spaces could not be changed from green belt to residential or commercial one.** It is not permissible to the State Government to change the parks and playgrounds contrary to legislative intent having constitutional mandate, as that would be an abuse of statutory powers vested in the authorities. Court also observed, when master plan was prepared earlier and authorities found importance of such space, it was their bounden duty not to change its very purpose when they knew very well the importance of this place to be kept as open space. Court said,

> **"**The **importance of park is of universal recognition**. It was against public interest, protection of the environment and such spaces reduce the ill effects of urbanisation, it was **not permissible to change this area into urban area as the garden/ Greenbelt is essential for fresh air, thereby protecting against the resultant impacts of urbanization, such as pollution etc**. The provision of the Act of 1973 and other enactments relating to environment could not be permitted to become statutory mockery by changing the purpose in the master plan from green belts to residential one. Authorities are enjoined with duty maintain them as such as per doctrine of public trust.**"**

20. Ultimately, Court quashed Master Plan 2021 changing use of area in question from greenbelt to residential and said that it shall be held in trusteeship only for the purpose of park in future.

21. Despite the law of land referred above and the orders passed by Tribunal expressing similar views, we find that approach of concerned authorities is very casual, lackadaisical and non-serious. We do not find any element of commitment, sincerity, honest intention and will on the part of authorities in taking effective steps for preservation and protection of green belt/land reserved for park in Master Plan.

13. यह कि झांसी महायोजना–2031 (प्रारूप) तैयार करने वाले संबंधित अधिकारियों एवं सदस्यों ने जानबूझकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 48ए और 51ए(जी) का उल्लंघन करते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय और माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों की अवहेलना/अवज्ञा कर उक्त नगर पार्क की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे व अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने और अवैध कॉलोनियां बसाने वालों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एवं उक्त नगर पार्क की भूमि पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण कराकर अवैध कॉलोनियां बसाने व इनको बचाने में संलिप्त झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव, त्रिभुवन विश्वकर्मा आदि व झांसी प्रशासन अधिकारियों–कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए नई झांसी महायोजना–2031 (प्रारूप) में उक्त नगर पार्क क्षेत्र 198.38 में से हरे भरे एवं जलमग्न क्षेत्र में रहने वाली 100.42 हे0 भूमि को आवासीय में परिवर्तन कर दिया गया है।

14. यह कि झांसी प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों–कर्मचारियों ने अपने पदीय कर्तव्यों का पालन करने के बजाय अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग कर अनाधिकृत कब्जे व अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने और अवैध कॉलोनियां बसाने वाले व्यक्तियों/भू–माफियाओं से सांठगांठ कर पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु आरक्षित/संरक्षित हरित पट्टिका, पार्क, क्रीड़ा स्थल/खेल के मैदान आदि की भूमियों पर कानूनों, नियमों तथा विनियमों की अवज्ञा कर अनधिकृत कब्जे व अवैध निर्माण/अतिक्रमण कराकर अवैध कॉलोनियां बसाने का कार्य करा रहे है।

15. यह कि झांसी महायोजना में पर्यावरण एवं हरियाली और मनोरंजन से संबंधित प्रस्तावित भूमियों पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण व अनाधिकृत कब्जा करने और अवैध कॉलोनियां बसाने वाले अवैध निर्माणकर्ताओं, अतिक्रमणकर्ता, विकासकर्ताओं और भू–माफियाओं से सांठगांठ कर इनको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तरदाताओं द्वारा महायोजना में प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि को आवासीय में परिवर्तन करने के उद्देश्य से महायोजना–2031 तैयार की है। इसी कारण से माननीय न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन में झांसी प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) के कर्मचारियों–अधिकारियों की ओर से महायोजना में प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि के अवैध निर्माणों का न तो सर्वे किया गया है और न ही उन अवैध निर्माणों के विरुद्ध हटाने/रोकने की कार्यवाही की जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं द्वारा नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब की भूमि के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों व अनाधिकृत कब्जों का सर्वे कराये बिना मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी आख्याएं तैयार कराकर माननीय न्यायाधिकरण को गुमराह करने के उद्देश्य से प्रेषित की जा रही है।

16. यह कि अवैध प्लॉटिंग एवं अवैध कॉलोनियां विकसित करने का करोबार करने वाले मुहम्मद यासीन, अकरम, अब्दुल करीम, जफर राईन, के० आर० टोकसे, हरीदास आदि द्वारा झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से सांठगांठ कर उक्त नगर पार्क में प्रस्तावित मौजा पिछोर में नारायण बाग की बाउंड्री–वॉल से लगी हुई भूमि आराजी संख्या 753, 754, 755, 818, 819, 820, 821, 826, 827, 828, 829, 830, 831, आदि में अवैध कॉलोनी विकसित करने के लिए उक्त नगर पार्क की भूमि को आवासीय दर्शाकर प्लॉट काटकर बेचे जा रहे थे और उन प्लॉटों पर अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसकी कई शिकायतें करने के बाद दिनांक 20.07.2015 को झांसी विकास प्राधिकरण की ओर से इन अवैध निर्माणों को हटाने की कार्यवाही करने के बजाये मात्र खानापूर्ति के नाम पर कुछ भूखंड बेचने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत **नोटिस सं. 33/2015–16, 34/2015–16 और 35/2015–16 जारी कर औपचारिकता कर ली गई। झांसी प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) के तत्कालीन कर्मचारियों–अधिकारियों ने अवैध प्लॉटिंग एवं अवैध कॉलोनियां विकसित करने का करोबार करने वाले व्यक्तियों से सांठगांठ कर उक्त नोटिसों की कार्यवाही बंद कर दी,** कार्यवाही बंद होने के कारण कई सरकारी कर्मचारियों, व्यवसायियों, बैनामी संपत्तिधारियों और राजनेताओं ने अधिकारियों से सांठगांठ कर अवैध आवासीय/व्यवसायी निर्माण कर लिए हैं और वर्तमान में भी सैकड़ों की संख्या में अवैध निर्माण किये जा रहे हैं। जिन्हें न तो रोका जा रहा है और न ही हटाया जा रहा है। **<u>निम्न नोटिस जिन पर आज तक कार्यवाही नहीं की गई।</u>**

झाँसी विकास प्राधिकरण, झांसी

कारण बताओ नोटिस

सेवा में

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार व श्री धीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम नाथ
   निवासी–उजयान मोठ झांसी।
2. श्री हरीदास व श्री भगवान दास नि0– ग्राम पिछोर झांसी।
3. श्रीमती लीला पत्नी श्री कन्हैया लाल नि0– होटल हाईवे के पीछे सीपरी बाजार झांसी।
4. श्री के0आर0 टोकसे पुत्र श्री राधा किशन टोकसे नि0– होटल हाईवे के पीछे सीपरी बाजार झांसी।
5. श्रीमती यासीन पुत्र श्री वसीर नि0– 7481, शिवाजी नगर झासी।
6. श्री अकरम पुत्र श्री यासीन नि0– 7481, शिवाजी नगर झासी।
7. अब्दुल करीम उर्फ सूके पुत्र श्री हाजी खुराबख्श नि0–141 अन्दर उन्नाव गेट झांसी।

संख्या 35/जे.डी.ए./अवैध निर्माण/2015–16 दिनांक 20 जुलाई 2015

विषय : उ.प्र. नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा–27 के अधीन नोटिस।

आपने ग्राम पिछोर के गाटा सं0– 753, 754, 753 818, 819, 820, झांसी (उ0प्र0)। में स्थित निम्नलिखित विकास कार्य शुरू किया है/कर रहे है/पूरा किया है।

ग्राम पिछोर के गाटा सं0– 753, 754, 753 818, 819, 820, कुल किता 6 रकबा लगभग 1.882 हेक्टयर भूमि पर बिना ले–आउट प्लान स्वीकृत करायें अवैध रूप से भू–खण्डो के रूप में विभाजित कर विकय किया जा रहा है। स्थल भूमि को भू–खण्डो के रूप में विभाजित कर विकय करने की कोई अनुमति/स्वीकृति नही दिखाई गई।

यह उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–14 के अधीन इस प्राधिकरण की अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति बिना, महा प्रयोजन/क्षेत्रीय विकास प्रयोजन का उल्लंघन है और उन शर्तो का जिनके अधीन यह अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति दी गई थी, का उल्लंघन है।

दिनांक 05-08-2015 को 10.00 बजे प्रातः आकर कारण बताये कि क्यों न उपर्युक्त अनाधिकृत विकास को गिराने/ समाप्त करने के आदेश जारी किए जाये।

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण, झांसी

झाँसी विकास प्राधिकरण, झांसी

कारण बताओ नोटिस

सेवा में

1. श्री के0आर0 टोकसे पुत्र श्री राधाकिशन टोकसे
   निवासी–होटल हाईवे के पीछे, सीपरी बाजार, झांसी।
2. श्री भगवानदास पुत्र श्री सुनके निवासी –ग्राम पिछोर झांसी।

संख्या 34 /जे.डी.ए./अवैध निर्माण/2015–16 दिनांक 20 जुलाई 2015

विषय : उ.प्र. नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा–27 के अधीन नोटिस।

आपने ग्राम पिछोर के गाटा सं0– 826 से 843 तक झांसी (उ0प्र0)। में स्थित निम्नलिखित विकास कार्य शुरू किया है/कर रहे है/पूरा किया है।

मौजा पिछोर के गाटा सं0– 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, कुल 18 किता रकवा 4.010 हैक्टेयर भूमि पर बिना लेआउट प्लान स्वीकृत कराये अवैध रूप से भू–खण्डो के रूप में विभाजित कर विकय किया जा रहा है। स्थल पर भूमि का भू–खण्डो के रूप में विभाजित कर विकय करने की कोई अनुमति/स्वीकृति नही दिखाई गई।

यह उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–14 के अधीन इस प्राधिकरण की अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति बिना, महा प्रयोजन/क्षेत्रीय विकास प्रयोजन का उल्लंघन है और उन शर्तो का जिनके अधीन यह अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति दी गई थी, का उल्लंघन है।

दिनांक 05-8-2015 को 10.00 बजे प्रातः आकर कारण बताये कि क्यों न उपर्युक्त अनाधिकृत विकास को गिराने/ समाप्त करने के आदेश जारी किए जाये।

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण, झांसी

झाँसी विकास प्राधिकरण, झांसी

कारण बताओ नोटिस

सेवा मे

श्रीमती गीता देवी कुशवाहा
पत्नी श्री अरविन्द कुमार कुशवाहा
निवासी– बाहर दतिया गेट,
झांसी (उ0प्र0)

संख्या 33 /जे.डी.ए./अवैध निर्माण/2015–16 दिनांक 20 जुलाई 2015

विषय : उ.प्र. नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा–27 के अधीन नोटिस।

आपने ग्राम पिछोर के गाटा सं0– 836, 838, 839, झांसी (उ0प्र0)। में स्थित निम्नलिखित विकास कार्य शुरू किया है/कर रहे है/पूरा किया है।

मौजा पिछोर के गाटा सं0– 836, 838, 839 कुल 18 किता रकवा 4.010 हेक्टयर भूमि पर बिना ले आउट प्लान स्वीकृत कराये अवैध रूप से भू–खण्डो के रूप में विभाजित कर विकय किया जा रहा है। स्थल पर भूमि का भूखण्डो के रूप में विभाजित कर विकय करने की कोई अनुमति/स्वीकृति नही दिखाई गई।

यह उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–14 के अधीन इस प्राधिकरण की अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति बिना, महा प्रयोजन/क्षेत्रीय विकास प्रयोजन का उल्लंघन है और उन शर्तो का जिनके अधीन यह अनुज्ञा अनुमोदन या संस्वीकृति दी गई थी, का उल्लघन है।

दिनांक 05-8-2015 को 10.00 बजे प्रातः आकर कारण बताये कि क्यों न उपर्युक्त अनाधिकृत विकास को गिराने/ समाप्त करने के आदेश जारी किए जाये।

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण, झांसी

17. यह कि कार्यवाही न होने के कारण उक्त नगर पार्क की भूमि पर गैर कानूनी रूप से सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों, व्यवसायियों, बैनामी संपत्तिधारियों और राजनेताओं ने झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से सांठगांठ कर अवैध आवासीय/व्यवसायी निर्माण कर लिए हैं और वर्तमान में भी सैकड़ों की संख्या में अवैध निर्माण किये जा रहे हैं। अवैध प्लॉटिंग का करोबार करने वाले व्यक्तियों से अधिकारियों की मिलीभगत होने के कारण न तो अवैध निर्माणों को रोका गया और न ही आज तक एक भी अवैध निर्माण को हटाया गया है।

18. यह कि झांसी महायोजना में शहर के स्वस्थ्य व स्वच्छ पर्यावरण हेतु पार्क एण्ड ओपन स्पेस स्टेडियम तथा ग्रीन वर्ज हेतु भूमियों को आरक्षित किया गया है परन्तु झांसी प्रशासन और प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों की अपने कार्य के प्रति लापवाही व उदासीनता के कारण पार्क एण्ड ओपन स्पेस स्टेडियम तथा ग्रीन वर्ज हेतु आरक्षित भूमियों पर अपने कर्तव्यों को उल्लंघन कर अवैध निर्माण कराये जा रहे है। जिसके संबंध में अधोहस्ताक्षरी एवं अन्य द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण में मामले योजित किये गये जिनमें पार्क एण्ड ओपन स्पेस स्टेडियम तथा ग्रीन वर्ज हेतु भूमियों पर से अवैध निर्माण को हटाने के आदेश पारित गये है। माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेशों का पूर्ण अनुपालन झांसी प्राधिकरण, प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन स्तर से किया जाना है परन्तु उपरोक्त द्वारा आज तक भी मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेशों का पूर्ण एवं सही अनुपालन नही किया गया। झांसी विकास प्राधिकरण, प्रशासन स्तर, आयुक्त स्तर तथा शासन स्तर पर उक्त प्रकरणों की पत्रावलियों को अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया/अपील/रिवीजन बताकर वर्षो से लम्बित रखे हुए है, जो राष्ट्रीय हरित अभिकरण अधिनियम 2010 की धारा–28 का स्पष्ट उल्लंघन है जो अधिनियम में प्राविधानित धारा–28 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध भी है। जो लगातार झांसी प्राधिकरण, प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन स्तर से किया जा रहा है।

"आपत्तिकर्ता के ऊपर जान लेवा हमले और दर्ज किए जा रहे फर्जी मुकदमे"

19. यह कि आपत्तिकर्ता और जनहित में कार्य करने वाले (पर्यावरण प्रेमियों एवं सामाजिक कार्यकर्ता) व्यक्तियों ने मिलकर भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों के अंतर्गत पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु आरक्षित/संरक्षित पार्क, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल/खेल के मैदान आदि की भूमियों को बचाने और उन्हें विकसित/जीर्णोद्धार कराये जाने को लेकर माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में शिकायतें दर्ज कराई हैं। उक्त शिकायतों पर माननीय न्यायाधिकरण में मूल प्रार्थना पत्र संख्या 114/2021 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व मूल प्रार्थना पत्र संख्या 165/2021 गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दर्ज किये गए है। उक्त मामलों में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा झांसी महायोजना में आरक्षित/संरक्षित पार्क, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल/खेल के मैदान आदि की भूमियों के अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों की जांच व कार्यवाही हेतु आदेश पारित किये गए है। जिसके कारण उपरोक्त भूमियों पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने और अवैध कॉलोनियां बसाने वाले अवैध निर्माणकर्ता, अतिक्रमणकर्ता, विकासकर्ता, भू–माफियाओं और इन अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों को कराने और बचाने में संलिप्त संबंधित अधिकारी–कर्मचारी याचिकाकर्ताओं से रंजिश रखने लगे है, जो याचिकाकर्ताओं को माननीय न्यायाधिकरण में दर्ज उपरोक्त मामलों में पैरवी करने से रोकने के लिए परिवार सहित याचिकाकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमलें, षड्यंत्र कर झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे है, जान से मारने की धमकियां दे रहे है, जिसका शिकायती पत्र याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 25.02.2022 को श्रीमान् मंडलायुक्त महोदय, झांसी व श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, झांसी व श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक महोदय, जिला झाँसी, को दिया गया था। उक्त शिकायत पर कार्यवाही न होने के कारण आपत्तिकर्ता के सहयोगी याचिकाकर्ताओं ने माननीय न्यायाधिकरण में दर्ज उपरोक्त मामलों में किसी भी तरह की शिकायत और पैरवी करना बंद कर दिया है, अब केवल आपत्तिकर्ता ही पैरवी कर रहा है। जिसके कारण उपरोक्तों द्वारा मिलकर याचिकाकर्ताओं के ऊपर परिवार सहित षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे दर्ज कराये जा रहे है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है और जानलेवा हमलें करने के साथ साथ कई माध्यमों से याचिकाकर्ताओं को परिवार सहित आर्थिक, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है।

20. यह कि आपत्तिकर्ता/प्रार्थी को जान से मारने के उद्देश्य से झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार दीक्षीत, सचिव, त्रिभुवन विश्वकर्मा, एटीपी जितेन्द्र सिंह व जेडीए के अज्ञात सहयोगी अधिकारियों–कर्मचारियों के साथ दिनांक 13 मार्च 2022 को प्रार्थी के घर जाकर सर्वप्रथम प्रार्थी का नाम लेकर धमकी देने लगे और जेडीए उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित ने स्वयं डंडा लेकर प्रार्थी के घर पर लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया और दूसरा सीसीटीवी कैमरा पुलिस कर्मियों ने डंडा मारमार कर तोड़ दिया जब तक कैमरे टूटे नहीं तब तक इन लोगों की पूरी फिल्म कैमरे में रिकॉर्ड होती रही, कैमरे तोड़ने के बाद पदनीयती से जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित प्रार्थी के घर के अन्दर बुरी नियत से प्रार्थी

की माता व महिलाओं को ढक्का देते हुए व झंझोरते हुए जेडीए के कर्मचारियों के साथ कमरों के अन्दर घुस कर प्रार्थी को तलाशा महिलाओं के द्वारा रोकने पर आंतरिक शारीरिक सम्पर्क कर आपराधिक बल का प्रयोग महिलाओं के साथ किया, जिससे उन महिलाओं की लज्जा भंग हुई। प्रार्थी द्वारा उक्त घटना की शिकायत करने पर जेडीए उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित ने दिनांक 13 मार्च 2022 को प्रार्थी के घर किये गए आपराधिक कृत्य से बचने और प्रार्थी पर दबाव बनाने हेतु अवैध निर्माणकर्ता विनोद वंशकार एवं उसके साथियों से मिलकर झूठी शिकायत कर रिपोर्ट लिखाने के लिए प्रेरित किया है, और उनको आश्वासन दिया है कि उनके अवैध निर्माण गिराये नहीं जायेगें। यदि वे नरेन्द्र कुशवाहा के पूरे परिवार के खिलाफ एस.सी./एस.टी. एक्ट की रिपोर्ट लिखवा दें। इस तरह षड्यंत्र कर दिनांक 14.03.2022 की झूठी घटना तैयार कराकर दिनांक 16.03.2022 को प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के खिलाफ थाना नवाबाद में अपराध संख्या–114/22 धारा–323, 504, 506, 452, 387 आई.पी.सी. व 3(2) एस.सी./एस.टी. एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

"दृष्टान्त न्यूज पर 13 मार्च 2022 के हमले की प्रसारित खबर"

कैमरे में कैद हो गयी JDA वीसी और सचिव की गुण्डई ||
पूरे अपराध की परत दर परत तहे खोलती रिपोर्ट ||

नरेन्द्र कुशवाहा

"13 मार्च 2022 के हमले का वीडियो, सोशल मीडिया द्वारा लखनऊ में प्रसारित"

21. यह कि झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार दीक्षीत ने प्रार्थी को जान से मारने के उद्देश्य से दिनांक 28 मार्च 2022 को अतिक्रमण व अवैध निर्माणकर्ताओं से अवैध निर्माणों को गिराने की कार्यवाही नहीं करने का आश्वासन देकर, भीड़ के साथ प्रार्थी पर जान लेवा हमला करवाया जिसमें प्रार्थी की जान जाते जाते बची। उक्त घटना और जान माल की सुरक्षा कराने की मांग का लिखित शिकायती पत्र लेकर जब प्रार्थी शाम को श्रीमान मंडलायुक्त महोदय, झांसी के पास गया तो उन्होंने

उपाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार दीक्षीत के साथ मिलीभगत होने कारण प्रार्थी से मिलने से साफ मना कर दिया, प्रार्थी ने मोबाइल पर कॉल करके भी निवेदन किया गया और जब प्रार्थी श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, झांसी से मिलने आवास पर गया तो उन्होंने भी प्रार्थी से मिलने से साफ मना कर दिया तो प्रार्थी ने मोबाइल पर कॉल करके मिलने का आग्रह किया और कहा कि प्रार्थी पर जानलेवा हमला किया गया है व आज जान से मारने की धमकी दी गई है मेरा आपसे मिलना बेहद जरूरी है, मैं आपके आवास के बाहर गेट पर आपसे मिलने की प्रतिक्षा कर रहा हूं कुछ समय बाद श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय ने पुलिस बुलाकर दिनांक 16.03.2022 को थाना नवाबाद में अपराध संख्या–114/22 लिखाएं गये झूठे केस में प्रार्थी को आवास के गेट पर से गिरफ्तार करवा दिया।

22. यह कि जब प्रार्थी बेल पर जेल से बाहर आया तो झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) उपाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार दीक्षीत ने कुछ व्यक्तिओं को प्रार्थी के पास भेजा, उक्त व्यक्तियों ने प्रार्थी से कहा की तुम्हे जेडीए उपाध्यक्ष ने बुलाया है यदि तुम अपनी और अपने परिवार की जान माल की सलामती चाहते हो तो तुरन्त हमारे साथ जेडीए उपाध्यक्ष के पास चलो वरना अभी तुम्हारे खिलाफ कई झूठे मुकदमा लगाकर, दोबारा जेल भेज देगें। और उक्त सभी व्यक्ति प्रार्थी को जबरन अपने गाड़ी में बैठाकर जेडीए कार्यालय उपाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार दीक्षीत के पास ले गये। वहां जेडीए उपाध्यक्ष ने प्रार्थी से कहा है कि डीएम साहब ने हमसे कहा है कि एनजीटी में पैरवी कर रहे नरेन्द्र कुशवाहा को बुलाकर उससे कहो की अभी हमने सिर्फ एक झूठा मुकदमा लगवाया है, यदि तुम चाहते हो कि और झुठे मुकदमा तुमहारे खिलाफ न लिखे जाये तो एनजीटी में दायर किए गए केसों में पैरवी करना बंद कर दो। यदि तुम एनजीटी में केसों की पैरवी करना बंद नहीं करते हो तो तुम्हारे परिवार सहित तुम्हारे खिलाफ 14–15 झूठे केस लगवाकर एनकाउंटर में मरवा देंगे। जेडीए उपाध्यक्ष ने प्रार्थी से डरा धमका कर दो एफिडेविट पर हस्ताक्षर भी करवाएं है।

23. यह कि उपरोक्त मामलों में आपत्तिकर्ता द्वारा पैरवी करने के कारण दिनांक 25 मई 2022 को रात्रि के लगभग 9 बजे झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार दीक्षीत ने आपत्तिकर्ता के घर पहुंच कर नगर पार्क में प्रस्तावित मौजा पिछोर के आराजी संख्या 753, 754, 755, 818 से 821 तक 826 से 842 आदि की भूमि पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने और अवैध कॉलोनी बसाने वाले व्यक्तियों से आपत्तिकर्ता के घर पर हमला करवाया। उक्त हमले में घर पर मौजूद महिलाओं और बुजुर्ग माता पिता के साथ अभद्रता करते हुए जान से मारने की कौशिश की, उक्त लोगों ने जान से मारने की धमकी देते हुऐ आपत्तिकर्ता के माता पिता को परिवार सहित घर बार छोड़ जाने की धमकी दी और कहा की अगर कल घर छोड़कर नहीं गए तो जान से मार दिए जाओगे, और तुम्हारे घर की बहु–बेटियों को बेच दिया जाएगा। उक्त लोगों में मौजूद राहुल राजपूत ने धमकी दी कि अगर कल सुबह तक तुम सब घर छोड़ कर नही गए तो जान से मार दिए जाओगे, जिससे परेशान होकर आपत्तिकर्ता के माता पिता ने परिवार के सभी सदस्यों के साथ दिनांक 26 मई 2022 की सुबह घर व घर गृहस्ती का समस्त सामान को छोड दिया हैं। अब आपत्तिकर्ता अपने बुजुर्ग माता पिता एवं परिवार के साथ डरा सहमा, भूखा प्यासा, जान बचाते हुए इधर उधर छुपता भागता फिर रहा हैं।

"25 मई 2022 के हमले का वीडियो, सोशल मीडिया द्वारा प्रसारित"

24. यह कि आपत्तिकर्ता द्वारा समय समय पर शासन–प्रशासन के उच्चाधिकारियों को शिकायत पत्र (संलग्न) देकर आपत्तिकर्ता के साथ घटित हो रही अपराधिक घटनाओं और माननीय न्यायाधिकरण में दर्ज प्रकरणों से अवगत कराया जा रहा है इसके बाबजूद झांसी प्रशासन के उच्चाधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है इससे यह स्पष्ट होता है कि आपत्तिकर्ता के साथ घटित हो रही अपराधिक घटनाओं में और उपरोक्त भूमियों के अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों को कराने और बचाने में झांसी प्रशासन के उच्चाधिकारियों की सहभागिता और संलिपत्ता है।

25. **यह कि जीवनदायी पर्यावरण का संतुलन बनाने रखने और प्रदूषण से बचाने हेतु सुरक्षित की गई भूमियों पर अतिक्रमण एवं अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण कराने वाले झांसी प्रशासन और जेडीए के अधिकारियों के कहने पर अतिक्रमण एवं अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति अपने अवैध निर्माण को बचाने की शर्त पर प्रार्थी/आपत्तिकर्ता और प्रार्थी के परिवार पर षड्यंत्र कर झूठे मुकदमें लगा रहे और घर पर रहने पर जान से मारने व बहु–बेटियों को बेचने की धमकियां दे रहे है, लगातार जानलेवा हमलें किए जा रहे** है। **प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार पर कई तरह से उत्पीड़न, अत्याचार कर और मनगढ़ंत आरोप लगाकर शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित एवं समाज में बदनाम कर रहें है। प्रार्थी/आपत्तिकर्ता एवं प्रार्थी का परिवार घर पर नहीं रह पा रहा है और न ही जीविकोपार्जन का कोई कार्य कर पा रहा है, घर पर न रह पाने के कारण घर मकान व प्रार्थी के पिता के हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा किया जा रहा है तथा बच्चों को पढ़ना लिखना दूभर हो गया है, झूठे मुकदमें लगाने के कारण पुरुषों का मेहनत मजदूरी करना भी दूभर हो गया है, संविधान में प्रदत्त जीवन जीने के समस्त मौलिक अधिकारों/मानवाधिकारों को छीना जा रहा है, जिससे पूरे परिवार की जिन्दगी बद से बत्तर हो गई है। जिससे प्रार्थी/आपत्तिकर्ता एवं प्रार्थी के परिवार को अपनी जान माल की सुरक्षा करने एवं जीविकोपार्जन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है।**

26. यह कि उपरोक्त भूमियों पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण कराने व इनको बचाने में संलिपत्त अधिकारियों–कर्मचारियों के द्वारा आपत्तिकर्ता के ऊपर परिवार सहित षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे दर्ज कर, जान से मारने की धमकियां देकर और जानलेवा हमलें कर एवं पुलिस द्वारा आर्थिक, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कराकर इसलिए प्रताड़ित किया जा रही ताकि भविष्य में कोई पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु आरक्षित/संरक्षित भूमियों को अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों से बचाने की कार्यवाही करने की हिम्मत न कर सकें।

27. यह कि जनज्वार न्यूज पोर्टल पर दिनांक 6 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित खबर के अनुसार **शीर्षक– "जानलेवा है पर्यावरण संरक्षण, भारत सबसे खतरनाक देशों में शामिल"** वर्ष 2021 की हाल में ही प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हरेक सप्ताह चार से अधिक पर्यावरण संरक्षकों की हत्या कर दी जाती है। वर्ष 2020 के दौरान दुनिया में कुल 227 पर्यावरण संरक्षकों की हत्या कर दी गयी। मारे गए लोगों की संख्या किसी भी वर्ष की तुलना में सर्वाधिक है। सबसे अधिक ऐसी हत्याएं, कोलंबिया में 65, मेक्सिको में 30, फिलीपींस में 29, ब्राजील में 20, होंडुरास में 17, कांगो में 15, ग्वाटेमाला में 15, निकारागुआ में 12, पेरू में 6 और भारत में 4 हत्याएं की गयीं। कोलंबिया लगातार दूसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है। भले ही भारत का स्थान 22 देशों की इस सूची में 4 हत्याओं के कारण 10वां हो, पर हमारे देश और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों (Environment and Natural Resources) पर अपनी पैनी नजर रखने वाले इन आंकड़ों पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। पर्यावरण संरक्षण का काम भारत से अधिक खतरनाक शायद ही किसी देश में हो। यहाँ के रेत और बालू माफिया हरेक साल सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, जिसमें पुलिस वाले और सरकारी अधिकारी भी मारे जाते हैं। पर, इसमें से अधिकतर मामलों को दबा दिया जाता है, और अगर कोई मामला उजागर भी होता है तो उसे पर्यावरण संरक्षण का नहीं बल्कि आपसी रंजिश या सड़क हादसे का मामला बना दिया जाता है। इसी तरह, अधिकतर खनन कार्य जनजातियों या आदिवासी क्षेत्रों में किये जाते हैं। स्थानीय समुदाय जब इसका विरोध करता है, तब उसे माओवादी, नक्सलाईट या फिर उग्रवादी का नाम देकर एनकाउंटर में मार गिराया जाता है, या फिर देशद्रोही बताकर जेल में डाल दिया जाता है।

उपरोक्त न्यू लिंकः– https://janjwar.com/environment/janleva-hai-environment-defend-india-sabse-dangerous-country-me-shamil-779369

28. यह कि पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु आरक्षित/संरक्षित पार्क, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल/खेल के मैदान, वन जंगल और नदी, तालाब, पहाड़ आदि की भूमियों को आवासीय में परिवर्तन करने से नहीं रोका गया और इन भूमियों को अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों से मुक्त कराकर उन्हें विकसित/जीर्णोद्धार नहीं कराया गया तो निश्चित ही धरती की हरियाली व पानी को बचाना, जीवनदायी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना और जलवायु परिवर्तन होने से रोकना असंभव हो जायेगा।

29. यह कि पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु आरक्षित/संरक्षित पार्क, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल/खेल के मैदान, वन जंगल और नदी, तालाब, पहाड़ आदि की भूमियों को अतिक्रमणों से बचाने और उन्हें विकसित/जीर्णोद्धार कराये जाने को लेकर प्रयासरत कार्य कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ताओं को यदि सुरक्षा दिलाने हेतु नियम कानून नहीं बनाएं गये और कार्यवाही नहीं की गयी तो उपरोक्त भूमियों पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने वालों और इनको कराने व बचाने में संलिपत्त अधिकारियों–कर्मचारियों के द्वारा पर्यावरण कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजा जाता रहेगा और उनकी हत्याएं करायी जाती रहेगी।

30. यह कि झांसी महानगर के पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु झांसी महायोजना 2001 एवं महायोजना 2021 में प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर अवैध कॉलोनियां बसाने वाले व्यक्तियों/भू–माफियाओं से सांठगांठ कर उक्त नगर पार्क में प्रस्तावित 198.38 हे0 भूमि में से 100.42 हे0 क्षेत्र की भूमि को नई झांसी महायोजना 2031 में आवासीय में परिवर्तन करने से यदि नहीं रोका तो निश्चित ही आने वाले समय में पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु प्रस्तावित पार्क, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल/खेल के मैदान, वन जंगल और नदी, तालाब, पहाड़ आदि की भूमियों पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण करवाकर आवासीय में परिवर्तन कर दिया जायेगा।

31. यह कि झांसी महायोजना में प्रस्तावित पार्क, खुले क्षेत्र, हरित पट्टी आदि की भूमियों को अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों से बचाने और उन्हें विकसित/जीर्णोद्धार कराये जाने को लेकर प्रयासरत कार्य कर रहे प्रार्थी/आपत्तिकर्ता को जान माल की सुरक्षा प्रदान नहीं कराई गई तो निश्चित ही उपरोक्त भूमियों पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने वालों और इनको कराने व बचाने में संलिपत्त अधिकारियों–कर्मचारियों के द्वारा प्रार्थी/आपत्तिकर्ता को परिवार सहित झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया जयेगा या हत्या कर दी जायेंगी।

श्रीमान् जी यहां यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त मामलों में प्रार्थी/आपत्तिकर्ता द्वारा पैरवी करने के कारण झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार दीक्षीत, सचिव, त्रिभुवन विश्वकर्मा, एटीपी जितेन्द्र सिंह आदि एवं संबंधित कर्मचारियों–अधिकारियों द्वारा स्वयं और नगर पार्क में प्रस्तावित मौजा पिछोर में नारायण बाग की बाउंड्री–वॉल से लगी हुई भूमि आराजी संख्या 753, 754, 755, 760, 856, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856 आदि की भूमि पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने और अवैध कॉलोनिया बसाने वाले व्यक्तियों से आपत्तिकर्ता (परिवार सहित) के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराये जा रहे है, जान लेवा हमले किये जा रहे है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और उपरोक्तों ने धमकी दी है कि अगर एनजीटी में दर्ज केसों में पैरवी की तो आपत्तिकर्ता व आपत्तिकर्ता के पिता, भाई, और पुत्र की हत्या करवा कर या झूठे मुकदमों में जेल भिजवा कर आपत्तिकर्ता की बहु–बेटियों, महिलाओं को अगवा कर देह व्यापार करने वाले माफियाओं को बेच दिया जाएगा।

दिनांक 12.07.2022

आपत्तिकर्ता

नरेन्द्र कुशवाहा

(नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र मुन्नालाल कुशवाहा)
निवासी– पिछोर म.ल.बा. मेडिकल कॉलेज के पीछे,
नारायण बाग के पास झांसी, उत्तर प्रदेश, (284128)

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

ओ.ए. संख्या **165** **सन 2021**

गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

<u>प्रार्थना</u>

श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि उपर्युक्त उल्लिखित तथ्यों/साक्ष्यों का संज्ञान लेकर निम्नलिखित कार्यवाही करने की कृपा करें:–

1. यह कि आपत्ति प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि आदेश दिनांक 25–01–2022 के अनुपालन के क्रम में मण्डलायुक्त महोदय, द्वारा जानबूझकर लक्ष्मीताल एवं नगर पार्क की भूमि पर अवैध कॉलोनियां बसाने वाले भू–माफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं/अतिक्रमणकर्ताओं को लाभ पहुंचाने एवं अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों को बचाने के उद्देश्य से मात्र खानापूर्ति के नाम पर प्रेषित की गई मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी अन्तरिम आख्या दिनांक 02–04–2022 को खारिज करने की कृपा करें।

2. झांसी महानगर के पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु लक्ष्मीताल के निकट प्रस्तावित नगर पार्क के क्षेत्र 198.38 में से 100.42 हे0 भूमि को नई झांसी महायोजना–2031 में आवासीय में परिवर्तन किये जा रहे को रोकने हेतु शीर्घ आदेश पारित करने की कृपा करें।

3. यह कि लक्ष्मीताल एवं नगर पार्क की भूमि के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों को हटाने हेतु शीर्घ आदेश पारित करने की कृपा करें।

4. यह कि लक्ष्मीताल एवं नगर पार्क को मूल स्वरूप में संरक्षित कर जीर्णोद्धार/विकसित कराने हेतु शीर्घ आदेश पारित करने की कृपा करें।

5. यह कि लक्ष्मीताल एवं नगर पार्क की भूमि के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों की वास्तविकता/सत्यता को मा. न्यायाधिकरण के समक्ष प्रकाश में लाने के लिए निम्म बिन्दुओं की जांच **माननीय न्यायाधिकरण की ओवर साइट कमेटी एवं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)** से कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

A. आवेदक/आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र, आपत्ति दिनांक 17–12–2021 एवं उपरोक्त आपत्ति दिनांक 12–07–2022 और स्थलीय आख्या (Status Report) दिनांकित 22–11–2021 एवं अन्तरिम आख्या दिनांक 02–04–2022 के तथ्यों/साक्ष्यों का स्थलीय सत्यापन करने हेतु।

B. लक्ष्मीताल एवं नगर पार्क की भूमि पर अवैध कॉलोनियां बसाने वाले भू–माफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं/अतिक्रमणकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से श्रीमान जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–07–2021 एवं आदेश दिनांक 25–01–2022 में दिए गए दिशा–निर्देशों कि मात्र औपचारिकता पूरी करने के लिए बिना अवैध निर्माणों का सर्वे कराये, लक्ष्मी तालाब की सीमाओं की पैमाईश कर सीमाओं का निर्धारण/चिन्हांकन किए बिना मात्र खानापूर्ति के नाम पर मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी स्थलीय आख्या (Status Report) दिनांकित 22–11–2021 एवं अन्तरिम आख्या दिनांक 02–04–2022 को तैयार करने वाले कर्मचारियों–अधिकारियों की जांच कराने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

C. लक्ष्मीताल के निकट प्रस्तावित नगर पार्क के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों और अवैध कॉलोनियों को बसाने/बचाने के उद्देश्य से उक्त नगर पार्क के क्षेत्र 198.38 में से **<u>हरे भरे एवं जलमग्न क्षेत्र में रहने</u>**

वाली 100.42 हे0 भूमि को अवैध कॉलोनियां बसाने वाले व्यक्तियों/भू–माफियाओं से सांठगांठ कर नई झांसी महायोजना–2031 (प्रारूप) में आवासीय में परिवर्तन करने वाले कर्मचारियों–अधिकारियों की जांच कराने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

D. लक्ष्मीताल एवं नगर पार्क की भूमि के अवैध निर्माणों/अवैध कॉलोनियों में अवैध रूप से सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर सरकारी खर्चे पर सड़क, बिजली, पानी आदि के विकास कार्य कराने वाले और बिजली, पानी के कनेक्शन देने वाले संबंधित विभागों के कर्मचारियों–अधिकारियों की जांच कराने हेतु।

E. झांसी महायोजना में पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु नगर पार्क एवं लक्ष्मीताल तालाब की भूमि पर अनधिकृत कब्जे व अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों/भू–माफियाओं से सांठगांठ कर अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग और कानूनों, नियमों तथा विनियमों की अवज्ञा कर अनधिकृत कब्जे व अवैध निर्माण/अतिक्रमण कराने के कार्य में संलिप्त झांसी प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण के तत्कालीन कर्मचारियों–अधिकारियों की जांच कराने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

F. **उपरोक्त ओ.ए संख्या 165 सन 2021 और इ.ए संख्या 02 सन 2022** में प्रार्थी/आपत्तिकर्ता को कार्यवाही/पैरवी करने से रोकने हेतु अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने व अवैध कॉलोनियां बसाने वाले व्यक्तियों/भू–माफियाओं और इन अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों को कराने और बचाने में संलिप्त झांसी विकास प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार दीक्षीत, सचिव, त्रिभुवन विश्वकर्मा, एटीपी जितेन्द्र सिंह आदि एवं संबंधित कर्मचारियों–अधिकारियों द्वारा मिलकर प्रार्थी व प्रार्थी परिवार के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर और जान लेवा हमलों कर किए जा रहे आर्थिक, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की जांच तथा उपरोक्तों से प्रार्थी/आपत्तिकर्ता एवं प्रार्थी के परिवार की जान माल की सुरक्षा कराने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

G. अन्य सहायता जो राय माननीय न्यायाधिकरण पाने का प्रार्थी/आपत्तिकर्ता मुस्तहक हो उत्तरदाताओं से दिलाई जावे।

H. अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायाधिकरण ठीक तथा उचित समझे प्रार्थी/आपत्तिकर्ता को प्रदान किया जावे।

इस कृपा के लिए प्रार्थी/आपत्तिकर्ता सदैव आपके आभारी रहेंगा।

दिनांक 12.07.2022

प्रार्थी/आपत्तिकर्ता

नरेन्द्र कुशवाहा

(नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र मुन्नालाल कुशवाहा)
निवासी– पिछोर म.ल.बा. मेडिकल कॉलेज के पीछे,
नारायण बाग के पास झांसी, उत्तर प्रदेश, (284128)

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

ओ.ए. संख्या 165 सन 2021

गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

आपत्ति का शपथ–पत्र

शपथपत्रकर्ता मिनजानिब– नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र मुन्नालाल कुशवाहा निवासी पिछोर म.ल.बा. मेडिकल कॉलेज के पीछे, नारायण बाग के पास झांसी उत्तर प्रदेश (284128)

मैं नरेन्द्र कुशवाहा शपथकर्ता उपरोक्त शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूं :–

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त प्रकरण में याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता है और इस प्रकरण में पैरवी कर रहा हैं तथा हालात प्रकरण से पूरी तरह से वाकिफ हैं।

2. यह कि उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 25–01–2022 के अनुपालन के क्रम में मण्डलायुक्त महोदय, द्वारा अन्तरिम आख्या दिनांक 02–04–2022 प्रेषित की गई है जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की है जिसमें सही–सही तथ्यों में तहरीर किया गया है। जिन्हें पुनः संक्षिप्ता के कारण दोहराया नहीं जा रहा है इसलिए उन्हें इस शपथपत्र में अडॉप्ट किया जाता है जो इस शपथपत्र का भाग माना जावें।

3. मण्डलायुक्त महोदय, द्वारा प्रेषित की गई अन्तरिम आख्या दिनांक 02–04–2022 एवं जिलाधिकारी महोदय, द्वारा प्रेषित की गई स्थलीय आख्या (Status Report) दिनांक 22–11–2021 में और प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 17–12–2021 एवं उपरोक्त आपत्ति दिनांक 12–07–2022 के तथ्यों/साक्ष्यों का स्थलीय सत्यापन **माननीय न्यायाधिकरण की ओवर साइट कमेटी एवं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)** से कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने का आदेश जनहित, पर्यावरण और न्यायहित में पारित किया जाना अति आवश्यक है।

4. यह कि लक्ष्मीताल एवं नगर पार्क की भूमि के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों की वास्तविकता/सत्यता को माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रकाश में लाने के लिए आपत्तियों में अंकित बिन्दुओं की जांच **माननीय न्यायाधिकरण की ओवर साइट कमेटी एवं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)** से कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने का आदेश जनहित, पर्यावरण और न्यायहित में पारित किया जाना अति आवश्यक है।

5. उपर्युक्त **ओ.ए संख्या 165 सन 2021 और इ.ए संख्या 02 सन 2022** में शपथकर्ता/याचिकाकर्ता को कार्यवाही/पैरवी करने से रोकने हेतु अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने व अवैध कॉलोनियां बसाने वाले व्यक्तियों/भू–माफियाओं और इन अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों को कराने और बचाने में संलिप्त झांसी विकास प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार दीक्षीत, सचिव, त्रिभुवन विश्वकर्मा, एटीपी जितेन्द्र सिंह आदि एवं संबंधित कर्मचारियों–अधिकारियों द्वारा मिलकर प्रार्थी व प्रार्थी परिवार के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर **और** जान लेवा हमलों कर किए जा रहे आर्थिक, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की जांच **माननीय न्यायाधिकरण की ओवर साइट कमेटी एवं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)** से कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने का आदेश जनहित, पर्यावरण और न्यायहित में पारित किया जाना अति आवश्यक है।

मैं शपथकर्ता नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र मुन्नालाल कुशवाहा तस्दीक करता हूं कि उपरोक्त आवेदन की धारा 1 से 31 मेरे निजी ज्ञान से सब सच व सही है कोई बात झूठी नहीं है यह तस्दीक आज दिनांक 12–07–2022 को वमुकाम अहाता कचहरी झांसी में की गयी।

शपथकर्ता

नरेन्द्र कुशवाहा

This affidavit is sworn before me by Shri Narendra Kushwaha S/o M.L. Kush...
on 12-07-22
Identified by Shri ...
at Court Compound JHANSI the contents have been read over and explained to the deponent and he admitted them to be true and correct.
Received ...

OATH COMMISSIONER
JHANSI (U.P.)

12/7/22

निम्नलिखित को दिए गए शिकायत पत्रों की छायाप्रति संलग्न हैं।

1. माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, मा. सर्वोच्च न्यायालय, भारत, नई दिल्ली।
4. माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, मा. उच्च न्यायालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
5. माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।
6. माननीय राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
7. श्रीमान मण्डलायुक्त महोदय, झांसी, मण्डल झांसी।
8. श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, झासी।
9. श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, झांसी।

सेवा में,

(96)

1. माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, मा. सर्वोच्च न्यायालय, भारत, नई दिल्ली।
4. माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, मा. उच्च न्यायालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
5. माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।
6. माननीय राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE
01 JUL 2022
डाक अनुभाग/DAK SECTION

अनुस्मारक पत्र

विषयः— माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में प्रार्थी द्वारा की गयी कार्यवाही के बदले की भावना के कारण प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को जान से मारने की कोशिश में किए जा रहे जान लेवा हमलें व प्रार्थी के परिवार की महिलाओं व बेटियों का अपहरण कराकर बेचने की कोशिश करने के संबंध में।

प्रसंग :— प्रार्थी द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र दिनांक 19—04—2022 व दिनांक 30—05—2022

महोदय जी,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मिन प्रार्थी द्वारा श्रीमान जी के समक्ष पूर्व में भेजे गये शिकायत पत्रों एवं संलग्न शिकायत पत्र दिनांक 30—05—2022 के संदर्भ में पुनः सविनय निम्न निवेदन किया जा रहा है :—

1. यह कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों के अंतर्गत पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु आरक्षित/प्रस्तावित भूमियों को अतिक्रमण से बचाने और उन्हें विकसित/जीर्णोद्धार कराये जाने को लेकर प्रार्थी द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में मूल प्रार्थना पत्र संख्या 114/2021 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व मूल प्रार्थना पत्र संख्या 165/2021 गिरजा शंकर राय, बी.एल. भास्कर, नरेन्द्र कुशवाहा व प्रदीप कुमार नामदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दर्ज किये है। उक्त प्रकरणों में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त भूमियों के अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों की जांच व कार्यवाही हेतु आदेश पारित किये गए है। जिसके कारण अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने एवं अवैध कॉलोनियां बसाने वाले व्यक्ति व भू—माफिया और इन अवैध अतिक्रमणों/निर्माणों को कराने व बचाने में संलिप्त तत्कालीन **झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव, त्रिभुवन विश्वकर्मा व अन्य अधिकारी—कर्मचारी एवं झांसी प्रशासन के अधिकारी—कर्मचारी एवं पुलिस वाले रंजिश रखने लगे हैं।**

2. यह कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायाधिकरण में उपरोक्त प्रकरण दर्ज कराने और पैरवी करने के कारण उपरोक्तों द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को जान से मारने हेतु हमला किए जा रहे हैं। मनगढ़ंत, झूठी शिकायतें कर फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर पुलिसिया अत्याचार/प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे प्रार्थी व प्रार्थी के पिता व भाई और पुत्र कई महिनों से घर पर नहीं रह पा रहे थे।

3. यह कि उपरोक्तों द्वारा दिनांक 25 मई 2022 को रात्रि के लगभग 9 बजे प्रार्थी को जान से मारने हेतु किए प्राणघातक हमले में प्रार्थी के न मिलने पर उपरोक्तों द्वारा घर मौजूद महिलाओं और बुजुर्ग माता पिता के साथ अभद्रता करते हुए जान से मारने की कौशिश की, उपरोक्तों ने प्रार्थी के बुजुर्ग

माता पिता को परिवार सहित घर बार छोड़ जाने की धमकी देते हुए कहा कि अगर कल घर छोड़कर नहीं गए तो जान से मार दिए जाओगे, और तुम्हारे घर की बहु–बेटियों का अपहरण कराकर देह व्यापार का धंधा करने वाल माफियाओं को बेच दिया जायेगा। जिसके कारण प्रार्थी के बुजुर्ग माता पिता ने पोता पोतीओं और बहुओं को साथ लेकर 26 मई 2022 की सुबह जमीन व घर व घर गृहस्ती का समस्त सामान को छोड़कर भाग आये है। **अब प्रार्थी अपने बुजुर्ग माता पिता एवं परिवार के साथ डरा सहमा, भूखा प्यासा, जान बचाते हुए इधर उधर छुपता भागता फिर रहा हैं। जिसके कारण आर्थिक, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रहें प्रार्थी के बुजुर्ग माता–पिता एवं परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो गए, प्रार्थी के परिवार वालों ने निर्णय लिया है कि न्याय न मिलने या परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई आपराधिक घटना एवं दुर्घटना घटित होने पर इस नरक समान जीवन को मझबूरन समाप्त कर देंगे।**

4. यह कि प्रार्थी द्वारा समय समय पर शासन–प्रशासन के उच्चाधिकारियों को शिकायत पत्र देकर प्रार्थी के साथ घटित हो रही अपराधिक घटनाओं और माननीय न्यायाधिकरण में दर्ज प्रकरणों से अवगत कराया जा रहा है इसके बाबजूद झांसी प्रशासन के उच्चाधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के साथ घटित हो रही अपराधिक घटनाओं में और उपरोक्त भूमियों के अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों को कराने और बचाने में झांसी प्रशासन के उच्चाधिकारियों की सहभागिता और संलिपत्ता है।

ऐसी स्थिति में पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु आरक्षित/प्रस्तावित भूमियों पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने एवं अवैध कॉलोनियां बसाने वाले व्यक्तियों व भू–माफियाओं और इन अवैध अतिक्रमणों/निर्माणों, कॉलोनियों को बसाने और बचाने में संलिप्त अधिकारियों–कर्मचारियों और माननीय न्यायाधिकरण में उपरोक्त प्रकरण दर्ज कराने और पैरवी करने के कारण प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को जान से मारने और प्रार्थी के परिवार की महिलाओं व बेटियों का अपहरण कराकर बेचने की कि जा रही कोशिश/धमकियों की निष्पक्ष जांच/कार्यवाही केन्द्र व राज्य स्तर की उच्चस्तरीय स्वतंत्र स्पेशल टीम से कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान् जी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना है कि मा. न्यायाधिकरण में दर्ज उपरोक्त मामलों में प्रार्थी द्वारा पैरवी करने के कारण प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के विरुद्ध द्वेष भावना पूर्ण थाना नवाबाद में दर्ज झूठे मुकदमे व दुर्भावनापूर्ण की जा रही शिकायतों और प्रार्थीगणों के ऊपर किये जा रहे जान लेवा हमलों की निष्पक्ष जांच/कार्यवाही उच्चस्तरीय स्वतंत्र स्पेशल टीम से कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने का तथा उपरोक्तों से प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार की जान माल की सुरक्षा कराने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

आपकी इस कृपा के लिए प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार आजीवन आपका आभारी रहेगा।

दिनांक 27.06.2022

सलंग्न छायाप्रति :–

प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2022

प्रार्थी

नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना कुशवाहा
(पर्यावरण, आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता)
नि. पिछोर नारायण बाग के पास,
थाना नवाबाद झांसी, उत्तर प्रदेश।
मो. 9452041529

सेवा में, दिनांक 09.06.2022

विषय 2021
आर्थिक संख्या 2 (2102)
5552

श्रीमान मण्डलायुक्त महोदय, झांसी, मण्डल झांसी।
कमिश्नरी कम्पाउण्ड, सिविल लाईन, झांसी (उ.प्र.)।

IGRS 50016622002251

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में प्रार्थी द्वारा की गयी कार्यवाही के बदले की भावना के कारण प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता, भाई और पुत्र के विरुद्ध द्वेष भावना पूर्ण थाना नवाबाद में दर्ज झूठे मुकदमे व दुर्भावनापूर्ण की जा रही शिकायतों और प्रार्थीगणों के ऊपर किये जा रहे जान लेवा हमलों की जांच उच्चस्तरीय स्वतंत्र स्पेशल टीम से कराये जाने के बाबत।

महोदय जी,

सविनय प्रार्थी निम्न निवेदन करता है:–

1. यह कि प्रार्थी नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना लाल कुशवाहा, (पर्यावरण, आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता) निवासी पिछोर थाना नबावाद झांसी का है।

2. यह कि प्रार्थी पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु आरक्षित/संरक्षित भूमियों को बचाने और उन्हें विकसित/जीर्णोद्धार कराये जाने को लेकर प्रयासरत कार्य कर रहा है।

3. यह कि प्रार्थी द्वारा अन्य सहयोगियों (पर्यावरण प्रेमियों एवं सामाजिक कार्यकर्ता) के साथ मिलकर भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों के अंतर्गत पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु आरक्षित/संरक्षित पार्क, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल/खेल के मैदान, वन जंगल और नदी, तालाब, पहाड़ आदि की भूमियों को बचाने और उन्हें विकसित/जीर्णोद्धार कराये जाने को लेकर जिला प्रशासन एवं राज्य और केंद्र सरकार स्तर पर और मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में शिकायतें दर्ज कराई हैं। उक्त शिकायतों पर मा. न्यायाधिकरण में मूल प्रार्थना पत्र संख्या 114/2021 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व मूल प्रार्थना पत्र संख्या 165/2021 गिरजा शंकर राय, बी.एल. भास्कर, नरेन्द्र कुशवाहा व प्रदीप कुमार नामदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दर्ज किये है। जिसमें मा. न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त भूमियों के अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों की जांच व कार्यवाही हेतु आदेश पारित किये गए है।

4. यह कि उपरोक्त भूमियों पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने वाले अवैध निर्माणकर्ता, अतिक्रमणकर्ता, विकासकर्ता, भू–माफिया और इन अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों को कराने और बचाने में संलिप्त संबंधित अधिकारी–कर्मचारी हम सभी याचिकाकर्ताओं से रंजिश रखने लगे है, जो हम याचिकाकर्ताओं को मा. न्यायाधिकरण में दर्ज उपरोक्त मामलों में पैरवी करने से रोकने के लिए, हम याचिकाकर्ताओं (परिवार सहित) के ऊपर जानलेवा हमलें, जान से मारने की धमकियां देकर और झूठी शिकायतें एवं षड्यंत्र कर झूठे मुकदमे दर्ज कराकर पुलिस द्वारा परेशान कराकर प्रार्थी व सहयोगियों याचिकाकर्ताओं का आर्थिक, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कर रहे है। जिसके कारण प्रार्थी के सहयोगी

...2

याचिकाकर्ताओं ने मा. न्यायाधिकरण में दर्ज उपरोक्त मामलों में किसी भी तरह की शिकायत और पैरवी करना बंद कर दिया है, अब केवल प्रार्थी ही पैरवी कर रहा है।

5. यह कि मा. न्यायाधिकरण में दर्ज उपरोक्त मामलों में प्रार्थी द्वारा पैरवी करने के कारण उपरोक्त भूमियों पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने वाले अवैध निर्माणकर्ताओं, अतिक्रमणकर्ताओं, विकासकर्ताओं, भू–माफियाओं और इन अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों को कराने व बचाने में संलिप्त संबंधित अधिकारियों–कर्मचारियों द्वारा मिलकर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के विरुद्ध द्वेष भावना पूर्ण झूठे मुकदमे दर्ज कराकर, जानलेवा हमलें कर, जान से मारने की धमकियां देकर एवं पुलिस में झूठी शिकायतें कर परेशान, उत्पीड़न कराकर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार का आर्थिक, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न/शोषण किया जा रहा रहा है।

6. यह कि प्रार्थी द्वारा समय समय पर झांसी प्रशासन के उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र देकर प्रार्थी के साथ घटित हो रही अपराधिक घटनाओं और मा. एनजीटी में दर्ज प्रकरणों से अवगत कराता रहा है। उक्त शिकायतों पर जांच व कार्यवाही करने वाले अधिकारियों ने अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने वाले अवैध निर्माणकर्ताओं, अतिक्रमणकर्ताओं, विकासकर्ताओं, भू–माफियाओं और इन अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों को कराने व बचाने में संलिप्त संबंधित अधिकारियों–कर्मचारियों से सांठगांठ कर उन्हे बचाने हेतु उक्त शिकायतों पर सच्चाई छुपाकर मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी आख्या उच्चाधिकारियों को गुमराह करने के उद्देश्य से प्रेषित कर शिकायतों का निस्तारण करा दिया जा रहा है।

7. यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में प्रार्थी द्वारा की गयी कार्यवाही के बदले की भावना के कारण अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने वाले अवैध निर्माणकर्ता, अतिक्रमणकर्ता, विकासकर्ता, भू–माफियाओं और इन अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों को कराने व बचाने में संलिप्त संबंधित अधिकारियों–कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के ऊपर किये जा रहे जान लेवा हमलों तथा थाना नबाबाद में प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता, भाई और पुत्र के विरूद्ध दर्ज की गई झूठी एफ.आई.आर. (अपराध संख्या–114/22) की निष्पक्ष, प्रॉपर, गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी व वैज्ञानिक जांच उच्च स्तरीय स्वतंत्र स्पेशल टीम द्वारा कराया जाना अति आवश्यक है।

8. यह कि मा. न्यायाधिकरण में दर्ज उपरोक्त मामलों में प्रार्थी द्वारा पैरवी करने के कारण उपरोक्त भूमियों पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने वाले अवैध निर्माणकर्ता, अतिक्रमणकर्ता, विकासकर्ता, भू–माफियाओं और इन अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों को कराने व बचाने में संलिप्त संबंधित अधिकारियों–कर्मचारियों द्वारा दिनांक 25 मई 2022 को लगभग 9 बजे नगर पार्क में प्रस्तावित मौजा पिछोर के आराजी संख्या 753, 754, 755, 818 से 821 तक 826 से 842 आदि की भूमि पर अवैध रूप से आवासीय विकास कार्य, अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वाले अर्जुन सिंह, हरिदास, सुदीप दीक्षित, राहुल राजपूत, साधना पटेल, विनोद वंशकार, रविन्द्र कुशवाहा, रमेश वर्मा, कृष्ण कुमार वर्मा, रामगोपाल सोनी आदि से एक राय होकर प्रार्थी के घर पर हमला कराया गया। उक्त हमले में प्रार्थी के घर मौजूद महिलाओं और बुजुर्ग माता पिता के साथ अभद्रता करते हुए जान से मारने की कौशिश की, उक्त लोगों ने जान से मारने की धमकी देते हुऐ उन्हें घर बार छोड़ जाने की धमकी दी और कहा की अगर कल घर छोड़कर नहीं गए तो जान से मार दिए जाओगे, और

...3

तुम्हारे घर की बहु बेटियों को बेच दिया जाएगा। उक्त लोगों में मौजूद राहुल राजपूत ने धमकी दी कि अगर कल सुबह तक तुम सब घर छोड़ कर नही गए तो जान से मार दिए जाओगे, जिससे परेशान होकर प्रार्थी के बुजुर्ग माता पिता एवं परिवार के सभी सदस्यों ने साथ दिनांक 26 मई 2022 की सुबह घर व घर गृहस्ती का समस्त सामान को छोड भाग आये हैं।

9. यह कि यह कि मा. न्यायाधिकरण में दर्ज उपरोक्त मामलों में प्रार्थी द्वारा पैरवी करने के कारण उपरोक्त भूमियों पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने वाले अवैध निर्माणकर्ता, अतिक्रमणकर्ता, विकासकर्ता, भू–माफियाओं और इन अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों को कराने व बचाने में संलिप्त संबंधित अधिकारियों–कर्मचारियों द्वारा दिनांक 25 मई 2022 कराये गये हमले की दहशत के कारण प्रार्थी के बुजुर्ग माता पिता एवं परिवार के सभी सदस्यों द्वारा दिनांक 26 मई 2022 को घर छोड़ने से प्रार्थी के ,बुजुर्ग माता–पिता, भाई, महिलाएं और बच्चे आर्थिक, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। अब प्रार्थी अपने बुजुर्ग माता पिता एवं परिवार के साथ डरा सहमा, भीषण गर्मी में भूखा प्यासा, जान बचाता हुआ, दूर दराज क्षेत्र में इधर उधर छुपता भागता फिर रहा हैं। जिसके कारण प्रार्थी अपने बुजुर्ग माता–पिता एवं परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो गए, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रहें प्रार्थी के परिवार वालों निर्णय लिया है कि न्याय न मिलने पर इस नरक समान जीवन को समाप्त कर देंगे।

अतः श्रीमान् जी प्रार्थी द्वारा आग्रह प्रार्थना है कि मा. न्यायाधिकरण में दर्ज उपरोक्त मामलों में प्रार्थी द्वारा पैरवी करने के कारण प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के विरुद्ध द्वेष भावना पूर्ण थाना नवाबाद में दर्ज झूठे मुकदमे व दुर्भावनापूर्ण की जा रही शिकायतों और प्रार्थीगणों के ऊपर किये जा रहे जान लेवा हमलों की निष्पक्ष जांच/कार्यवाही उच्चस्तरीय स्वतंत्र स्पेशल टीम से कराकर जांचोपरांत पाये जाये दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने का तथा उपरोक्तों से प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार की जान माल की सुरक्षा कराने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

आपकी इस कृपा के लिए प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार आजीवन आपका आभारी रहेगा।

दिनांक 09.06.2022

सलंग्न प्रतिलिपि :–

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, को दिए गये प्रार्थना पत्र दिनांक 23.03.2022

प्रार्थीगण

1. मुन्ना लाल कुशवाहा पुत्र स्व. श्री भगवानदास
2. शकुन देवी पत्नी मुन्ना लाल कुशवाहा
3. नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना लाल कुशवाहा (पर्यावरण, आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता)
4. विनीता देवी पत्नी नरेन्द्र कुशवाहा
5. अरविन्द कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना लाल कुशवाहा
6. सीमा देवी पत्नी अरविन्द कुशवाहा
7. निखिल, निकिता पुत्रगण श्री नरेन्द्र कुशवाहा
8. नेहा, रोहित, कैशव पुत्रगण श्री अरविन्द कुशवाहा

नि0–पिछोर, थाना–नवाबाद, झांसी
मो0न0 9452041529

सेवा में, 243

माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

दिनांक 30.05.2022

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE
01 JUN 2022
डाक अनुभाग / DAK SECTION

विषयः— प्रार्थी द्वारा जीवनदायी पर्यावरण को बचाने हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में की गयी कार्यवाही के बदले की भावना से झांसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार दीक्षीत द्वारा स्वंय व अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार पर कराये जा रहे जानलेवा हमलें, उत्पीड़न, अत्याचार और झूठे मुकदमे लगाकर किये जा रहे प्रताड़ित के संबंध में अनुस्मारक पत्र।

महोदय जी,

आपको मिन प्रार्थी नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्नालाल कुशवाहा, (पर्यावरण, आर.टी. आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता) द्वारा पूर्व में भेजे गये संलग्न शिकायती पत्र दिनांक 19—04—2022 के संदर्भ में पुनः सविनय निम्न निवेदन है :—

1. यह कि झांसी के पर्यावरण का संतुलन बनाएं रखने और प्रदूषण से बचाने हेतु सुरक्षित की गई भूमियों पर भू—माफिया, अतिक्रमणकर्ता और झांसी प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण किया जा रहा है, उक्त भूमियों को बचाने के लिए प्रार्थी प्रयासरत कार्य कर रहा है।

2. यह कि प्रार्थी ने अन्य सहयोगियों (पर्यावरण / सामाजिक कार्यकर्ता) के साथ मिलकर भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों के अंतर्गत जीवनदायी पर्यावरण को बचाने के लिए जिला प्रशासन एवं राज्य और केंद्र सरकार स्तर पर और मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। उक्त शिकायतों पर मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में मूल प्रार्थना पत्र संख्या 114 / 2021 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व मूल प्रार्थना पत्र संख्या 165 / 2021 गिरजा शंकर राय, बी.एल. भास्कर, नरेन्द्र कुशवाहा व प्रदीप कुमार नामदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दर्ज किये है। जिसमें मा. न्यायाधिकरण द्वारा लक्ष्मी तालाब व नगर पार्क आदि के अतिक्रमणों / अवैध निर्माणों की जांच व कार्यवाही हेतु आदेश पारित किये गए है। जिसके कारण भू माफियाओं के साथ सांठगांठ करके अतिक्रमण / अवैध निर्माण कराने और इन अतिक्रमणों / अवैध निर्माणों को बचाने के लिये कार्यवाही नहीं करने वाले झांसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार दीक्षीत व इनके सहयोगी अधिकारीगण और अतिक्रमण / अवैध निर्माणकर्ता प्रार्थी से रंजिश रखने लगे है, उपरोक्त सभी को शामिल करके उपाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार दीक्षीत स्वयं प्रार्थी को उक्त मामलों में पैरवी करने से रोकने के लिए प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार पर षड्यंत्र कर जानलेवा हमलें, आपराधिक घटनाएं घटित और झूठे मुकदमें दर्ज कर रहे है, जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा केन्द्रीय शासन व राज्य शासन प्रशासन स्तर पर लगातार शिकायतें की जा रही है। झांसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार दीक्षीत के उपरोक्त कार्यों एवं भ्रष्टाचार और षड्यंत्र में शासन प्रशासन के उच्चाधिकारियों के शामिल होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

(A) CS(UP)/79

3. यह कि जीवनदायी पर्यावरण का संतुलन बनाने रखने और प्रदूषण से बचाने हेतु सुरक्षित की गई भूमियों पर अतिक्रमण एवं अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण कराने वाले झांसी प्रशासन और जेडीए के अधिकारियों के कहने पर अतिक्रमण एवं अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति अपने अवैध निर्माण को बचाने की शर्त पर प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार पर षड्यंत्र कर झूठे मुकदमें लगाने और जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, लगातार जानलेवा हमलें किए जा रहे है। और घर पर हमलें किए जा रहे है, घर–बार छोड़ जाने की धमकी दी जा रही है, प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार पर कई तरह से उत्पीड़न, अत्याचार कर और मनगढ़ंत आरोप लगाकर शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित एवं समाज में बदनाम कर रहें है। बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए घर से बाहर निकला दूभर हो गया है, झूठे मुकदमें लगाने के कारण घर के पुरुषों का घर पर रहना और मेहनत मजदूरी करना दूभर हो गया है, संविधान में प्रदत्त जीवन जीने के समस्त मौलिक अधिकारों/मानवाधिकारों को छीना जा रहा है, जिससे पूरे परिवार की जिन्दगी बद से बत्तर हो गई है।

4. यह कि प्रार्थी को जान से मारने के उद्देश्य से झांसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार दीक्षीत सहयोगी अधिकारीगणों के साथ दिनांक 13 मार्च 2022 को प्रार्थी के घर जाकर सर्वप्रथम प्रार्थी का नाम लेकर धमकी देने लगे और जेडीए उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित ने स्वयं डंडा लेकर प्रार्थी के घर पर लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया और दूसरा सीसीटीवी कैमरा पुलिस कर्मियों ने डंडा मारमार कर तोड़ दिया जब तक कैमरे टूटे नहीं तब तक इन लोगों की पूरी फिल्म कैमरे में रिकॉर्ड होती रही, कैमरे तोड़ने के बाद पदनीयती से जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित प्रार्थी घर के अन्दर बुरी नियत से प्रार्थी की माता व महिलाओं को ढक्का देते हुए व झंझोरते हुए जेडीए के कर्मचारियों के साथ कमरों के अन्दर घुस कर प्रार्थी को तलाशा महिलाओं के द्वारा रोकने पर आंतरिक शारीरिक सम्पर्क कर आपराधिक बल का प्रयोग महिलाओं के साथ किया, जिससे उन महिलाओं की लज्जा भंग हुई। प्रार्थी द्वारा उक्त घटना की शिकायत करने पर जेडीए उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित ने दिनांक 13 मार्च 2022 को प्रार्थी के घर किये गए आपराधिक कृत्य से बचने और प्रार्थी पर दबाव बनाने हेतु अवैध निर्माणकर्ता विनोद वंशकार एवं उसके साथियों से मिलकर झूठी शिकायत कर रिपोर्ट लिखाने के लिए प्रेरित किया है, और उनको आश्वासन दिया है कि उनके अवैध निर्माण गिराये नहीं जायेगें। यदि वे नरेन्द्र कुशवाहा के पूरे परिवार के खिलाफ एस.सी./एस.टी. एक्ट की रिपोर्ट लिखवा दें। इस तरह षड्यंत्र कर दिनांक 14.03.2022 की झूठी घटना तैयार कराकर दिनांक 16.03.2022 को प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के खिलाफ थाना नवाबाद में अपराध संख्या–114/22 धारा–323, 504, 506, 452, 387 आई.पी.सी. व 3(2) एस.सी./एस. टी. एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

5. यह कि झांसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार दीक्षीत ने प्रार्थी को जान से मारने के उद्देश्य से दिनांक 28 मार्च 2022 को अतिक्रमण व अवैध निर्माणकर्ताओं से अवैध निर्माणों को गिराने की कार्यवाही नहीं करने का आश्वासन देकर, भीड़ के साथ प्रार्थी पर जान लेवा हमला करवाया जिसमें प्रार्थी की जान जाते जाते बची। उक्त घटना और जान माल की सुरक्षा कराने की मांग का लिखित शिकायती पत्र लेकर जब प्रार्थी शाम को श्रीमान मंडलायुक्त महोदय, झांसी के पास गया तो उन्होंने उपाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार दीक्षीत के साथ मिलीभगत होने कारण प्रार्थी से मिलने से साफ मना कर दिया, प्रार्थी ने मोबाइल पर कॉल करके भी निवेदन किया गया और जब प्रार्थी श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, झांसी से मिलने आवास पर गया तो उन्होंने भी प्रार्थी से मिलने से साफ मना कर दिया तो प्रार्थी ने मोबाइल पर कॉल करके मिलने का आग्रह किया और कहा कि प्रार्थी पर जानलेवा हमला किया गया है व आज

जान से मारने की धमकी दी गई है मेरा आपसे मिलना बेहद जरूरी है, मैं आपके आवास के बाहर गेट पर आपसे मिलने की प्रतिक्षा कर रहा हूं कुछ समय बाद श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय ने पुलिस बुलाकर दिनांक 16.03.2022 को थाना नवाबाद में अपराध संख्या–114/22 लिखाएं गये झूठे केस में प्रार्थी को आवास के गेट पर से गिरफ्तार करवा दिया।

6. यह कि जब प्रार्थी बेल पर जेल से बाहर आया तो झांसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार दीक्षीत ने कुछ व्यक्तिओं को प्रार्थी के पास भेजा, उक्त व्यक्तियों ने प्रार्थी से कहा की तुम्हे जेडीए उपाध्यक्ष ने बुलाया है यदि तुम अपनी और अपने परिवार की जान माल की सलामती चाहते हो तो तुरन्त हमारे साथ जेडीए उपाध्यक्ष के पास चलो वरना अभी तुम्हारे खिलाफ कई झूठे मुकदमा लगाकर, दोबारा जेल भेज देगें। और उक्त सभी व्यक्ति प्रार्थी को जबरन अपने गाड़ी में बैठाकर जेडीए कार्यालय उपाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार दीक्षीत के पास ले गये। वहां जेडीए उपाध्यक्ष ने प्रार्थी से कहा है कि डीएम साहब ने हमसे कहा है कि एनजीटी में पैरवी कर रहे नरेन्द्र कुशवाहा को बुलाकर उससे कहो की अभी हमने सिर्फ एक झूठा मुकदमा लगवाया है, यदि तुम चाहते हो कि और झुठे मुकदमा तुमहारे खिलाफ न लिखे जाये तो एनजीटी में दायर किए गए केसों में पैरवी करना बंद कर दो। यदि तुम एनजीटी में केसों की पैरवी करना बंद नहीं करते हो तो तुम्हारे परिवार सहित तुम्हारे खिलाफ 14–15 झूठे केस लगवाकर एनकाउंटर में मरवा देंगे। जेडीए उपाध्यक्ष ने प्रार्थी से डरा धमका कर दो एफिडेविट पर हस्ताक्षर करवा लिए है।

7. यह कि एनजीटी में केसों की पैरवी करने के कारण झांसी प्रशासन और जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षीत ने षड्यंत्र के तहत दिनांक 25 मई 2022 को लगभग 9 बजे 20–25 अवैध निर्माणकर्ताओं अर्जुन सिंह, हरिदास, सुदीप दीक्षित, राहुल राजपूत, साधना पटेल, विनोद वंशकार, रविन्द्र कुशवाहा, रमेश वर्मा, कृष्ण कुमार वर्मा, रामगोपाल सोनी आदि से प्रार्थी के घर पर हमला करवाया। उक्त हमले में प्रार्थी के घर की महिलाओं और बुजुर्ग पिता के साथ अभद्रता करते हुए जान से मारने की कौशिश की, उक्त लोगों ने जान से मारने की धमकी देते हुऐ घर बार छोड़ जाने की धमकी दी थी और कहा था की अगर कल घर छोड़कर नहीं गए तो जान से मार दिए जाओगे, और तुम्हारे घर की बहु बेटियों को बेच दिया जाएगा। राहुल राजपूत ने धमकी दी है की अगर कल सुबह तक तुम सब घर छोड़ कर नही गए तो जान से मार दिए जाओगे, उक्त लोगो ने पहले भी दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा लगाया है, और हमारे ऊपर जान लेवा हमलें किए हैं।

8. यह कि झांसी प्रशासन, जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षीत और अतिक्रमणकर्ताओं के द्वारा प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार को लगातार कई तरह से जानलेवा हमलें कर, झूठे मुकदमें दर्ज करके और मनगढ़ंत आरोप लगाकर शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे क्षुब्ध होकर तथा जान से मारने और प्रार्थी के घर की महिलाओं का अपहरण कराकर बेचने की धमकियों और अप्रिय घटना घटित होने के डर से प्रार्थी ने अपने बुजुर्ग माता पिता एवं परिवार के साथ 26 मई 2022 को घर व घर गृहस्ती का समस्त सामान को छोड दिया हैं। अब प्रार्थी अपने बुजुर्ग माता पिता एवं परिवार के साथ डरा सहमा, भूखा प्यासा, जान बचाते हुए इधर उधर छुपता भागता फिर रहा हैं।

9. यह कि प्रार्थी द्वारा समय समय पर झांसी प्रशासन के उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र देकर प्रार्थी के साथ घटित हो रही अपराधिक घटनाओं और मा. एनजीटी में दर्ज प्रकरणों से अवगत कराता रहा है गसके बाबजूद झांसी प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं

की जा रही है इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के साथ घटित हो रही अपराधिक घटनाओं में और जीवनदायी पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने हेतु सुरक्षित भूमियों के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों को करने/कराने में और इन्हें बचाने में झांसी प्रशासन के उच्च अधिकारियों की सहभागिता और संलिपत्ता होने की आशंका को जाहिर कर रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, प्रॉपर, गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी व वैज्ञानिक जांच उच्च स्तरीय स्वतंत्र स्पेशल टीम गठित कर कराया जाना अति आवश्यक है।

श्रीमान् जी यहां यह उल्लेखनीय है कि जीवनदायी पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने हेतु सुरक्षित भूमियों के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों का एनजीटी में केस दर्ज कराने और केसों में पैरवी कर रहे प्रार्थी के ऊपर परिवार सहित उक्त भूमियों पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण कराने व कराने में संलिप्त अधिकारीगण और अवैध प्लॉटिंग/निर्माण व अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों द्वारा जानलेवा हमलें कर व झूठे केस दर्ज कराकर प्रार्थी का परिवार सहित पुलिस व शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न कर इसलिए प्रताड़ित किया जा रही ताकि भविष्य में कोई उपरोक्त भूमियों के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों की शिकायत करने की हिम्मत न कर सकें। ऐसी स्थिति में यदि उपरोक्तों के खिलाफ कठोर से कठोर दंडनायक कार्यवाही नहीं की गई तो निश्चित ही जीवनदायी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु सुरक्षित की गई भूमियों पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने/कराने वालों के हौसले बढ़ते जाएंगे।

ऐसी स्थिति में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में प्रार्थी द्वारा की गयी कार्यवाही के बदले की भावना के कारण झांसी प्रशासन के उच्चाधिकारियों के संरक्षण में जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षीत और अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के ऊपर किये जा रहे जान लेवा हमलों और थाना नबाबाद में प्रार्थी व प्रार्थी के पूरे परिवार के विरूद्ध दर्ज की गई झूठी एफ.आई.आर. (अपराध संख्या–114/22) की निष्पक्ष, प्रॉपर, गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी व वैज्ञानिक जांच उच्च स्तरीय स्वतंत्र स्पेशल टीम द्वारा कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि सलंग्न शिकायत पत्र दिनांक 19–04–2022 और इस अनुस्मारक पत्र का गहन अवलोकन कर, प्रार्थी द्वारा जीवनदायी पर्यावरण को बचाने हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में की गयी कार्यवाही के बदले की भावना से प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के ऊपर झांसी प्रशासन और जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षीत एवं अतिक्रमण/अवैध निर्माणकर्ताओं के द्वारा षड्यंत्र के तहत किये जा रहे जानलेवा हमलों, उत्पीड़न, अत्याचारों और अन्याय की जांच केन्द्र व राज्य स्तर पर एक उच्चस्तरीय स्वतंत्र स्पेशल कमेटी से कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने का तथा उपरोक्तों से प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार की जान माल की सुरक्षा कराने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

आपकी महान कृपा होगी।

दिनांक 30.05.2022

प्रार्थी

दिनांक 19–04–2022 को श्रीमान जी के समक्ष प्रेषित किए गए शिकायत पत्र की प्रतिलिपि सलंग्न हैं।

नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना कुशवाहा
(पर्यावरण, आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता)
नि. पिछोर नारायण बाग के पास,
थाना नवाबाद झांसी, उत्तर प्रदेश।
मो. 9452041529

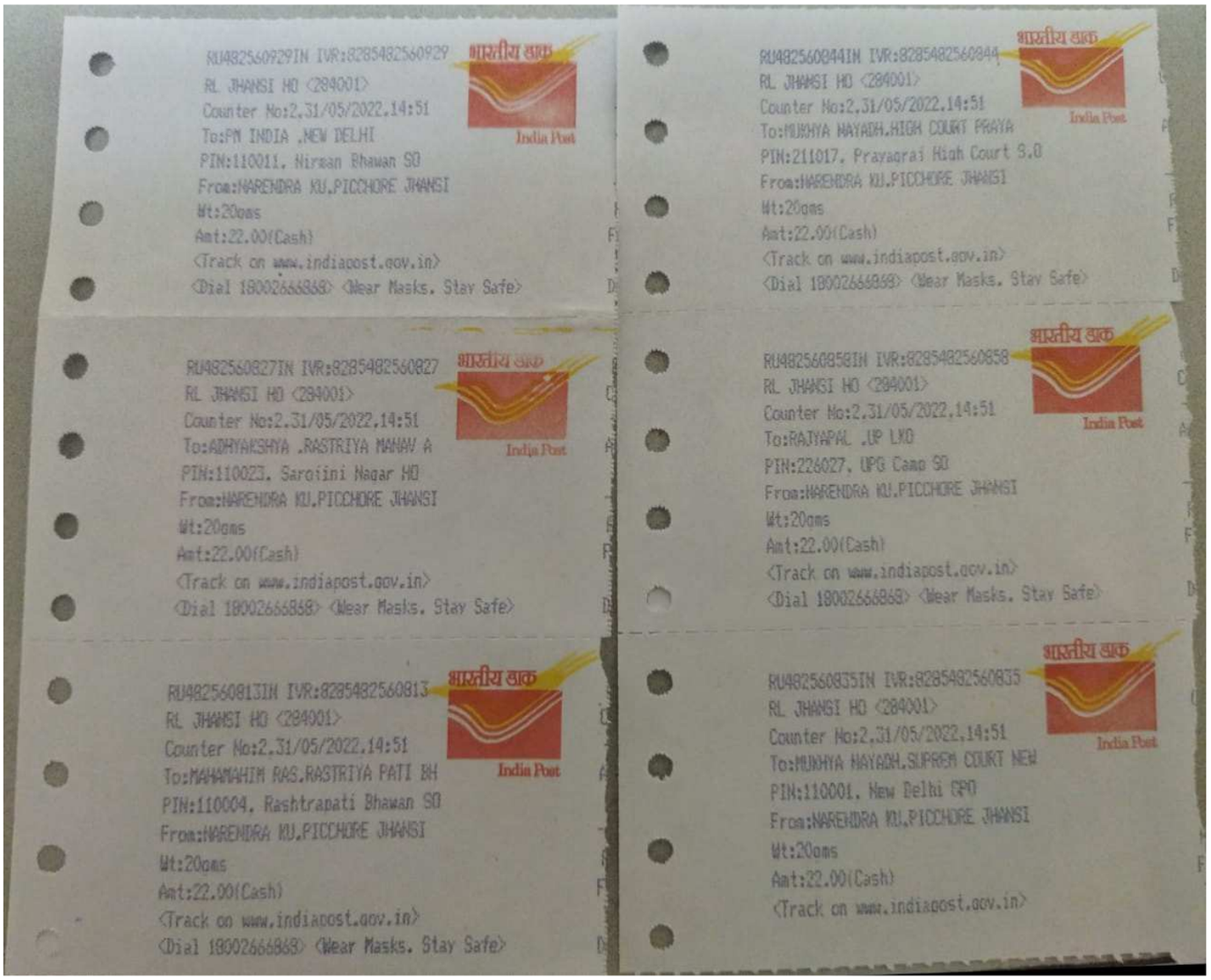

RU482560929IN IVR:8285482560929
RL JHANSI HO <284001>
Counter No:2.31/05/2022,14:51
To:PM INDIA ,NEW DELHI
PIN:110011, Niraan Bhawan SO
From:NARENDRA KU.PICCHORE JHANSI
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks. Stay Safe>

RU482560944IN IVR:8285482560944
RL JHANSI HO <284001>
Counter No:2.31/05/2022,14:51
To:MUKHYA NAYADH.HIGH COURT PRAYA
PIN:211017, Prayagrai High Court S.O
From:NARENDRA KU.PICCHORE JHANSI
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks. Stay Safe>

RU482560827IN IVR:8285482560827
RL JHANSI HO <284001>
Counter No:2.31/05/2022,14:51
To:ADHYAKSHYA ,RASTRIYA MANAV A
PIN:110023, Saroiini Nagar HO
From:NARENDRA KU.PICCHORE JHANSI
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks. Stay Safe>

RU482560858IN IVR:8285482560858
RL JHANSI HO <284001>
Counter No:2.31/05/2022,14:51
To:RAJYAPAL ,UP LKO
PIN:226027, UPG Camp SO
From:NARENDRA KU.PICCHORE JHANSI
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks. Stay Safe>

RU482560813IN IVR:8285482560813
RL JHANSI HO <284001>
Counter No:2.31/05/2022,14:51
To:MAHAMAHIM RAS.RASTRIYA PATI BH
PIN:110004, Rashtrapati Bhawan SO
From:NARENDRA KU.PICCHORE JHANSI
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks. Stay Safe>

RU482560835IN IVR:8285482560835
RL JHANSI HO <284001>
Counter No:2.31/05/2022,14:51
To:MUKHYA NAYADH.SUPREM COURT NEW
PIN:110001, New Delhi GPO
From:NARENDRA KU.PICCHORE JHANSI
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>

119

सेवा में,

माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE
25 APR 2022
डाक अनुभाग / DAK SECTION

दिनांक 19.04.2022

विषय :– झांसी महानगर के पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने हेतु प्रस्तावित नगर पार्क के अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों के खिलाफ मा0 एनजीटी नई दिल्ली में प्रार्थी द्वारा दायर याचिका में पैरवी करने से रोकने के लिए, अवैध प्लॉटिंग एवं अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने वाले और उपरोक्त कार्य कराने में संलिप्त अधिकारियों द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार पर किए जा रहे जानलेवा हमलें, उत्पीड़न, अत्याचार के संबंध में,

महोदय जी,

सविनय निम्न निवेदन है :–

1. यह कि प्रार्थी नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्नालाल कुशवाहा, (पर्यावरण, आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता) पता –पिछोर, थाना नबावाद, जिला झांसी (उत्तर प्रदेश) का निवासी है।

2. यह कि झांसी के पर्यावरण का संतुलन बनाएं रखने और प्रदूषण से बचाने हेतु सुरक्षित की गई भूमियों पर भू–माफिया, अतिक्रमणकर्ता और झांसी प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध प्लॉटिंग कर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको बचाने के लिए प्रार्थी प्रयासरत कार्य कर रहा है।

3. यह कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों के अंतर्गत जीवनदायी पर्यावरण को बचाने के लिए जिला प्रशासन एवं राज्य और केंद्र सरकार स्तर पर और मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में प्रार्थी ने अन्य सहयोगियों (पर्यावरण/सामाजिक कार्यकर्ता) के साथ मिलकर शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। उक्त शिकायतों पर मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में मूल प्रार्थना पत्र संख्या 114/2021 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व मूल प्रार्थना पत्र संख्या 165/2021 गिरजा शंकर राय, बी.एल. भास्कर, नरेन्द्र कुशवाहा व प्रदीप कुमार नामदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दर्ज किये है। जिसमें मा. न्यायाधिकरण द्वारा लक्ष्मी तालाब व नगर पार्क के अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों की जांच व कार्यवाही हेतु आदेश पारित किये गए है।

cs/UP/96

4. यह कि उपरोक्त शिकायतों/कार्यवाहीयों के कारण अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने/कराने वाले भू–माफिया, अतिक्रमणकर्ता और उपरोक्त कार्य कराने में संलिप्त झांसी प्रशासन एवं जेडीए और संबंधित विभागों के अधिकारीगण प्रार्थी व सहयोगियों से रंजिश रखने लगे है जो प्रार्थी को उक्त मामलों में पैरवी करने से रोकने के लिए प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार पर षड्यंत्र कर जानलेवा, आपराधिक घटनाएं घटित कर रहे है।

5. यह कि मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पूर्व पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 के क्रम में गठित समिति द्वारा मनगढ़त, भ्रामक स्थलीय आख्या प्रस्तुत की गई थी जिसकी साक्ष्य सहित आपत्ती दी थी दिनांक 25.01.2022 को सुनवाई के दौरान मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा उक्त आपत्ती और आख्या की जांच करने हेतु समिति गठित करने का आदेश पारित किया गया है, जिससे मनगढ़त, भ्रामक स्थलीय आख्यां प्रस्तुत करने वाले अधिकारीगण जांच के घेरे में आ जाने और प्रार्थी द्वारा उपरोक्त केसों में साक्ष्य प्रेषित करने हेतु आरटीआई के तहत झांसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, कार्यालय जिलाधिकारी झांसी और कार्यालय मंडलायुक्त झांसी के जन

नरेन्द्र कुशवाहा

सूचना अधिकारियों से सूचनाएं मांग कर साक्ष्य इकट्ठा करने आरटीआई दायर कर दी जिसके कारण तथाकथित स्थलीय आख्या दिनांकित 22 नवम्बर 2021 प्रेषित करने वाले समस्त सदस्य और जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा, ए.टी.पी. जितेन्द्र सिंह एवं जेडीए के अन्य अधिकारी–कर्मचारी जो अवैध निर्माण कराने में संलिप्त और अवैध निर्माणकर्ता याचिकाकर्ताओं से व्यक्तिगत रजिंश रखने लगे है। ये सभी प्रार्थी और सहयोगी याचिकाकर्ताओं को पैरवी करने से रोकने के लिए कई माध्यमों से परेशान कर रहे है और उपरोक्त की बात प्रार्थी द्वारा न मानने पर जान से मारने की धमकी दे रहे है। जिसका शिकायती पत्र दिनांक 25.02.2022 को याचिकाकर्ताओं ने श्रीमान् मंडलायुक्त महोदय, झांसी व श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, झांसी व श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक महोदय, जिला झाँसी, को दिया गया था।

6. यह कि दिनांक 13 मार्च 2022 को सुबह लगभग 11:55 बजे जब प्रार्थी नरेन्द्र कुशवाहा व प्रार्थी के पिता व भाई घर पर नहीं थे तभी रंजिशन मानने वाले जेडीए उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव, त्रिभुवन विश्वकर्मा, एटीपी जितेन्द्र सिंह व जेडीए के अज्ञात अधिकारियों–कर्मचारियों के साथ अवैध निर्माणकर्ता लेकर प्रार्थी के घर पर आये और प्रार्थी का नाम लेकर धमकी देने लगे और जेडीए उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित ने डंडा लेकर प्रार्थी के घर पर लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया और दूसरा सीसीटीवी कैमरा पुलिस कर्मियों ने डंडा मारमार कर तोड़ दिया जब तक कैमरे टूटे नहीं तब तक इन लोगों की पूरी फिल्म कैमरे में रिकॉर्ड होती रही, कैमरे तोड़ने के बाद पदनीयती से जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित प्रार्थी घर के अन्दर बुरी नियत से प्रार्थी की माता व महिलाओं को ढक्का देते हुए व झंझोरते हुए जेडीए के कर्मचारियों के साथ कमरों के अन्दर घुस कर प्रार्थी को तलाशा महिलाओं के द्वारा रोकने पर आंतरिक शारीरिक सम्पर्क कर आपराधिक बल का प्रयोग महिलाओं के साथ किया, जिससे उन महिलाओं की लज्जा भंग हुई। उपरोक्त की घर में घुसने तक की घटना सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में देखा जा सकता है।

7. यह कि उपरोक्त जेडीए के अधिकारियों–कर्मचारियों का ये सरकारी कार्य नहीं है कि वे महिलाओं गंदी गंदी गालियां दें, जान से मारने की धमकी दें, सबूत मिटाने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरा तोड़े, प्रार्थी के घर की महिलाओं को बदनियती से पकड़े, महिलाओं की लज्जा भंग करें, इस प्रकार झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा, एटीपी जितेन्द्र सिंह और उक्त घटना में संलिप्त जेडीए के अधिकारियों–कर्मचारियों व साथ आये अज्ञात पुलिस कर्मियों ने जघन्य, संज्ञेय अपराध प्रथम दृष्टता कारित किया गया है। इन अधिकारीगणों ने सरकारी पदीय कर्तव्य से हटकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए पदीय कर्तव्यों के विमुख अपराध कारित किया है। घटना की दिनांक से लगातार प्रार्थी ने पुलिस एवं अधिकारियों को शिकायतें दी। अभी तक इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नही की गई है।

8. यह कि 13 मार्च 2022 को प्रार्थी के घर किये गए आपराधिक कृत्य से बचने और प्रार्थी पर दबाव बनाने हेतु झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने विनोद वंशकार एवं उसके साथियों से मिलकर झूठी शिकायत कर रिपोर्ट लिखाने के लिए प्रेरित किया है। और आश्वासन दिया है कि उनके अवैध निर्माण गिराये नहीं जायेगें। वे नरेन्द्र कुशवाहा के पूरे परिवार के खिलाफ एस.सी./एस.टी. एक्ट की रिपोर्ट लिखवा दें। इस तरह षड्यंत्र कर दिनांक 14.03.2022 की झूठी घटना तैयार कराकर दिनांक 16.03.2022 को प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के खिलाफ थाना नवाबाद में अपराध संख्या–114/22 धारा–323, 504, 506, 452, 387 आई.पी.सी. व 3(2) एस.सी./एस.टी. एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

9. यह कि दिनांक 28 मार्च 2022 को झांसी महानगर के पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने हेतु शासन द्वारा झाँसी महायोजना में प्रस्तावित नगर पार्क को विकसित कराने को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कचहरी के पास गांधी उद्यान में जन जागरूकता, हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत

लगभग 12:00 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे थे तभी नगर पार्क में प्रस्तावित मौजा पिछोर के आराजी संख्या 753, 754, 755, 818 से 821 तक 826 से 842 आदि में अवैध रूप से प्लाट बेचने वाले हरिदास, अर्जुन सिंह पुत्र स्व. भगवान दास व अवैध निर्माण करने/कराने वाले सुदीप दिक्षित, साधना पटेल के नेतृत्व में जगत सिंह यादव, वीरसिंह पाल, विनोद वंशकार, रविन्द्र कुशवाहा, गुल्लू अहिरवार, सोनू राजपूत, मन्जू कुशवाहा, गिरजा देवी, सुनिता शर्मा आदि दर्जनों महिला–पुरुष एक राय होकर आए और अचानक बैनर पोस्टर व हस्ताक्षर अभियान पत्र छीनकर फाड़ते हुए प्रार्थी पर जानलेवा हमला कर दिया, प्रार्थी के साथ उपस्थित समाजसेवी व अधिवक्ताओं ने प्रार्थी को किसी तरह उक्त लोगों से बचाया। उक्त हमले में हरिदास व अर्जुन सिंह व विनोद वंशकार व सुदीप दिक्षित उर्फ महाराज ने प्रार्थी को धमकी देते हुए कहा कि तुझे नगर पार्क निर्माण के संबंध में पैरवी करने से रोका था और समझाया था कि पैरवी करना बंद कर दे वरना परिवार सहित जान से मरवा दिया जाएगा, तेरे और तेरे परिवार पर अभी एक ही झूठा मुकदमा लगाया है आगे और भी कई झूठे गंभीर मुकदमें लिखवा देगें, जहां भी तू मिला वहां जान से मार देंगे। इस घटना में मेरी तथा मेरे साथियों की जान भी जा सकती थी महोदय इसके पूर्व भी प्रार्थी पर जानलेवा हमले किये गये है, उक्त जानलेवा हमलों की कार्यवाही हेतु एवं जानमाल की सुरक्षा की गुहार प्रार्थी उच्च अधिकारियों से लगा चुका है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं गई है।

10. यह कि दिनांक 28 मार्च 2022 को घटित घटना की और जानमाल की सुरक्षा कराने की मांग का लिखित शिकायती पत्र लेकर जब शाम को प्रार्थी श्रीमान मंडलायुक्त महोदय, झांसी के पास गया तो उन्होंने प्रार्थी से मिलने से साफ मना कर दिया प्रार्थी ने मोबाइल पर कॉल करके भी निवेदन किया गया और जब प्रार्थी श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, झांसी से मिलने आवास पर गया तो उन्होंने भी प्रार्थी से मिलने से साफ मना कर दिया तो प्रार्थी ने मोबाइल पर कॉल करके मिलने का आग्रह किया और कहा कि प्रार्थी पर जानलेवा हमला किया गया है व आज जान से मारने की धमकी दी गई है मेरा आपसे मिलना बेहद जरूरी है, मैं आपके आवास के बाहर गेट पर आपसे मिलने की प्रतिक्षा कर रहा हूं कुछ समय बाद श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय ने पुलिस बुलाकर दिनांक 16.03.2022 को थाना नवाबाद में अपराध संख्या–114/22 लिखाएं गये झूठे केस में प्रार्थी को आवास के गेट पर से गिरफ्तार करवा दिया।

11. **यह कि जीवनदायी पर्यावरण का संतुलन बनाने रखने और प्रदूषण से बचाने हेतु सुरक्षित की गई भूमि को आवासीय बताकर प्लॉट बेचने एवं अतिक्रमण और अवैध प्लॉटिंग करने वाले अकरम, मुहम्मद यासीन, जफर राईन, अब्दुल करीम के सहयोगी मित्र कुलदीप अवस्थी ने दिनांक 29 मार्च 2022 को नवाबाद थाने में आकर प्रार्थी से कहा कि एनजीटी में दायर किये गए केसों में पैरवी और अवैध निर्माणों की शिकायत करना बंद कर दो वरना तुम पर और तुम्हारे परिवार पर और भी कई झूठे गंभीर आपराधिक केस लगा दिये जाएंगे, जिससे तुम लोग कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे, और तुम्हारे बच्चों का अपहरण कराके भीख मंगवाने वाले गिरोह को और महिलाओं को देह व्यापार करने वालों को बेच देगे, फिर कानून और तुम हम लोगों का कुछ नही कर पाओगे।**

12. यह कि मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली विचाराधीन उपरोक्त केसों में पैरवी कर रहे सहयोगियों ने झांसी प्रशासन और जेडीए के अधिकारियों द्वारा दी जा रही झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकियों के कारण किसी भी तरह की शिकायत और पैरवी करना बंद कर दिया है, अब केवल प्रार्थी ही उपरोक्त केसों में पैरवी कर रहा है। जिसके कारण झूठे मुकदमे लगाने और जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, लगातार जानलेवा हमलें किए जा रहे है।

13. **यह कि जीवनदायी पर्यावरण का संतुलन बनाने रखने और प्रदूषण से बचाने हेतु सुरक्षित की गई भूमियों पर अतिक्रमण एवं अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण कराने वाले झांसी प्रशासन और जेडीए के अधिकारियों के कहने पर अतिक्रमण एवं अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति अपने अवैध**

निर्माण को बचाने की शर्त पर प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार पर षड्यंत्र कर झूठे मुकदमें लगाने और जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, लगातार जानलेवा हमलें किए जा रहे है। और घर पर हमलें किए जा रहे है, घर–बार छोड़ जाने की धमकी दी जा रही है, प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार पर कई तरह से उत्पीड़न, अत्याचार कर और मनगढ़ंत आरोप लगाकर शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित एवं समाज में बदनाम कर रहें है। बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए घर से बाहर निकला दूभर हो गया है, झूठे मुकदमें लगाने के कारण घर के पुरुषों का घर पर रहना और मेहनत मजदूरी करना दूभर हो गया है, संविधान में प्रदत्त जीवन जीने के समस्त मौलिक अधिकारों/मानवाधिकारों को छीना जा रहा है, जिससे पूरे परिवार की जिन्दगी बद से बत्तर हो गई है।

यदि प्रार्थी या प्रार्थी के परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार पर हमला, झूठा मुकदमा दर्ज करने वाले उपरोक्त व्यक्तियों के साथ साथ अवैध निर्माण कराने में संलिप्त झांसी प्रशासन व झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों–कर्मचारियों की होगी।

महोदय जी, यहां यह उल्लेखनीय है कि झांसी के जीवनदायी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु सुरक्षित जमीनों के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों का एनजीटी में केस दर्ज कराने और केसों में पैरवी कर रहे हम लोगों पर उपरोक्तों द्वारा जानलेवा हमलें, उत्पीड़न, अत्याचार व झूठे केसों की कार्यवाही कर इसलिए प्रताड़ित किया जा रही ताकि भविष्य में कोई पर्यावरण को संतुलन बनाने रखने हेतु सुरक्षित की गई भूमियों के अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों की शिकायत करने की हिम्मत न कर सकें। ऐसी स्थिति में यदि उपरोक्तों के खिलाफ कठोर से कठोर दंडनायक कार्यवाही नहीं की गई तो निश्चित ही जीवनदायी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु सुरक्षित की गई भूमियों पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने/कराने वालों के हौसले बढ़ते जाएंगे।

प्रार्थना

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन/प्रार्थना है कि जीवनदायी पर्यावरण का संतुलन बनाने रखने और प्रदूषण से बचाने हेतु सुरक्षित की गई भूमियों के अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रार्थी द्वारा मा0 एनजीटी नई दिल्ली में दायर याचिका में पैरवी करने से रोकने के लिए षड्यंत्र कर झूठे मुकदमें व जान लेवा हमला करने/कराने वाले झांसी प्रशासन व झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा, ए.टी.पी. जितेन्द्र सिंह आदि एवं उपरोक्त कार्य कराने में संलिप्त संबंधित अधिकारियों–कर्मचारियों एवं अवैध प्लॉटिंग एवं अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने वाले अकरम, मुहम्मद यासीन, जफर राईन, अब्दुल करीम, कुलदीप अवस्थी, हरिदास, अर्जुन सिंह पुत्र स्व. भगवान दास सुदीप दिक्षित, साधना पटेल, जगत सिंह यादव, वीरसिंह पाल, विनोद वंशकार, रविन्द्र कुशवाहा, गुल्लू अहिरवार, सोनू राजपूत, मन्जू कुशवाहा, गिरजा देवी, सुनिता शर्मा आदि दोषियों अवैध निर्माण/अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ कठोर से कठोर दंडनायक कार्यवाही करने का आदेश पारित करने के साथ साथ उपरोक्तों द्वारा षड्यंत्र कर किये जा रहे जानलेवा हमलों उत्पीड़न और अत्याचारों से प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार की जान माल की सुरक्षा कराने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

आपकी महान कृपा होगी।

प्रार्थी

दिनांक 19.04.2022

सलंग्न प्रतिलिपि

1. मा. एनजीटी द्वारा पारित आदेश
2. पूर्व में दिए गए शिकायत पत्र
3. घटना की फोटो

नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना कुशवाहा
(पर्यावरण, आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता)
नि. पिछोर नारायण बाग के पास,
थाना नवाबाद झांसी, उत्तर प्रदेश।
मो. 9452041529

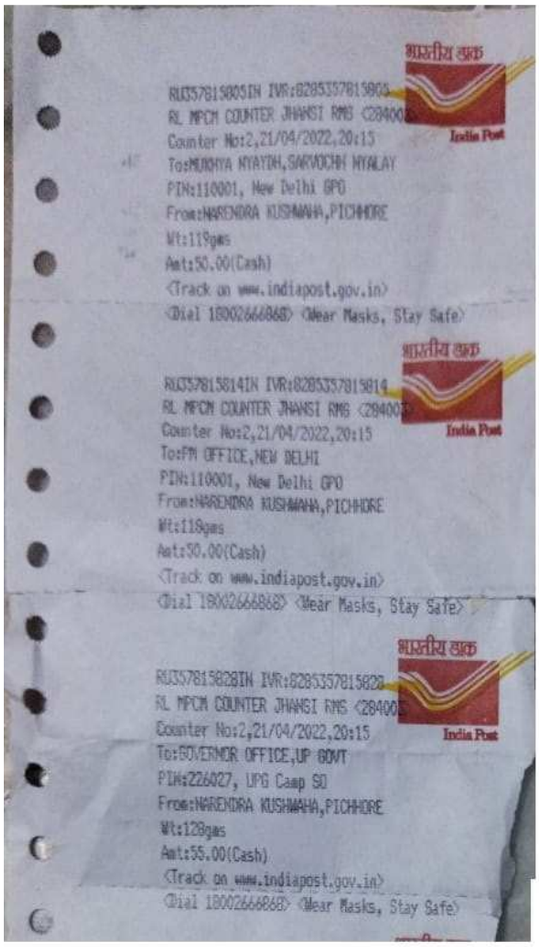

RU357815805IN IVR:8285357815805
RL MPCM COUNTER JHANSI RMS <284003>
Counter No:2,21/04/2022,20:15
To:MUKHYA NYAYDH,SARVOCHH NYALAY
PIN:110001, New Delhi GPO
From:NARENDRA KUSHWAHA,PICHHORE
Wt:119gms
Amt:50.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

RU357815814IN IVR:8285357815814
RL MPCM COUNTER JHANSI RMS <284003>
Counter No:2,21/04/2022,20:15
To:PM OFFICE,NEW DELHI
PIN:110001, New Delhi GPO
From:NARENDRA KUSHWAHA,PICHHORE
Wt:118gms
Amt:50.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

RU357815828IN IVR:8285357815828
RL MPCM COUNTER JHANSI RMS <284003>
Counter No:2,21/04/2022,20:15
To:GOVERNOR OFFICE,UP GOVT
PIN:226027, UPG Camp SO
From:NARENDRA KUSHWAHA,PICHHORE
Wt:128gms
Amt:55.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

RU310718430IN IVR:8285310718430
RL AYURVEDIC UNIVERSITY S.O <284003>
Counter No:1,19/04/2022,14:46
To:PRESIDENT,R M AYOG
PIN:110023, Sarojini Nagar HO
From:NARENDRA KUSHWAHA,JHS
Wt:125gms
Amt:52.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>

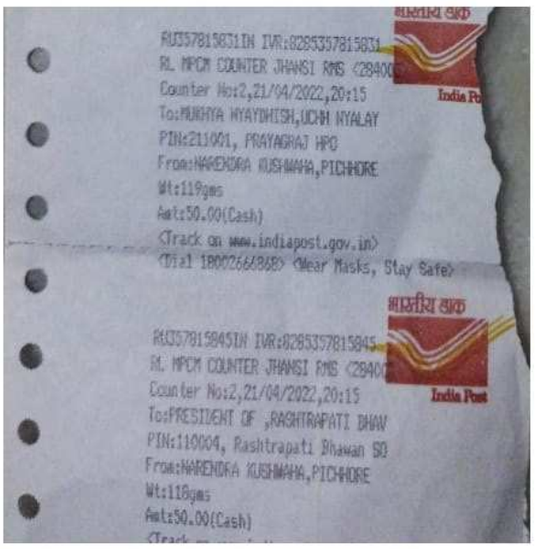

RU357815831IN IVR:8285357815831
RL MPCM COUNTER JHANSI RMS <284003>
Counter No:2,21/04/2022,20:15
To:MUKHYA NYAYDHISH,UCHH NYALAY
PIN:211001, PRAYAGRAJ HPO
From:NARENDRA KUSHWAHA,PICHHORE
Wt:119gms
Amt:50.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

RU357815845IN IVR:8285357815845
RL MPCM COUNTER JHANSI RMS <284003>
Counter No:2,21/04/2022,20:15
To:PRESIDENT OF ,RASHTRAPATI BHAV
PIN:110004, Rashtrapati Bhawan SO
From:NARENDRA KUSHWAHA,PICHHORE
Wt:118gms
Amt:50.00(Cash)

सेवा में,

1. श्रीमान् मंडलायुक्त महोदय, झांसी।
2. श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, झांसी।
3. श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र झांसी।
4. श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक महोदय, जिला झाँसी।
5. श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय, थाना–नवाबाद, झांसी।

विषय :– पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने हेतु प्रस्तावित नगर पार्क को विकसित कराने के लिए शांती पूर्वक चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के दौरान प्रार्थी के उपर एक राय होकर जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाबत,

महोदय,

विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी नरेंद्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना लाल कुशवाहा झांसी महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टी, खेल के मेंदान, पार्को और हरियाली आदि को बचाने के लिए प्रयासरत आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता है। प्रार्थी के साथ उपस्थित समाजसेवी व अधिवक्ताओं द्वारा आज दिनांक 28 मार्च 2022 को झांसी महानगर के पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने हेतु शासन द्वारा झाँसी महायोजना में प्रस्तावित नगर पार्क को विकसित कराने को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कचहरी के पास गांधी उद्यान में जन जागरूकता, हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत लगभग 12:00 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू जी की मूर्ति पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि कर रहे थे तभी मौजा पिछोर के आराजी संख्या 753, 754, 755, 818 से 821 तक 826 से 842 आदि में अवैध रूप से प्लाट बेचने वाले हरिदास, अर्जुन सिंह पुत्र स्व. भगवान दास व अवैध निर्माण करने/कराने वाले सुदीप दिक्षित उर्फ महाराज के नेतृत्व में जगत सिंह यादव, वीरसिंह पाल, विनोद वंशकार, रविन्द्र कुशवाहा, गुल्लू अहिरवार, सोनू राजपूत, मन्जू कुशवाहा, गिरजा देवी, सुनिता शर्मा आदि दर्जनों महिला–पुरुष एक राय होकर आए और अचानक बैनर पोस्टर व हस्ताक्षर अभियान पत्र छीनकर फाड़ते हुए प्रार्थी पर जानलेवा हमला कर दिया, प्रार्थी के साथ उपस्थित समाजसेवी व अधिवक्ताओं ने किसी तरह उक्त लोगों से बचाया।

उक्त हमले में हरिदास व अर्जुन सिंह व विनोद वंशकार व सुदीप दिक्षित उर्फ महाराज ने प्रार्थी को धमकी देते हुए कहा कि तुझे नगर पार्क निर्माण के संबंध में पैरवी करने से रोका था और समझाया था कि पैरवी करना बंद कर दे वरना परिवार सहित

.....2

जान से मरवा दिया जाएगा, तेरे और तेरे परिवार पर अभी एक ही झूठा मुकदमा लगाया है आगे और भी कई झूठे गंभीर मुकदमें लिखवा देगें, जहां भी तू मिला वहां जान से मार देंगे।

आज इस हमले में मेरी तथा मेरे साथियों की जान भी जा सकती थी महोदय इसके पूर्व भी प्रार्थी पर जानलेवा हमले किये गये है, उक्त जानलेवा हमलों की कार्यवाही हेतु एवं जानमाल की सुरक्षा की गुहार प्रार्थी उच्च अधिकारियों से लगा चुका है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं गई है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त घटना कारित करने वाले हरिदास, अर्जुन सिंह पुत्र स्व. भगवान दास व सुदीप दिक्षित उर्फ महाराज व जगत सिंह यादव, वीरसिंह पाल, विनोद वंशकार, रविन्द्र कुशवाहा, गुल्लू अहिरवार, सोनू राजपूत, मन्जू कुशवाहा, गिरजा देवी, सुनिता शर्मा आदि अज्ञात महिला व पुरुष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को सुरक्षा देने की कृपा करें।

दिनांक 28.03.2022

सलंग्न :–

प्रार्थना पत्र दिनांक 23.03.2022

प्रार्थी

नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना लाल कुशवाहा
(आर0टी0आई0 / सामाजिक कार्यकर्ता)
नि0–पिछोर, थाना–नवाबाद, झांसी
मो0न0 9452041529

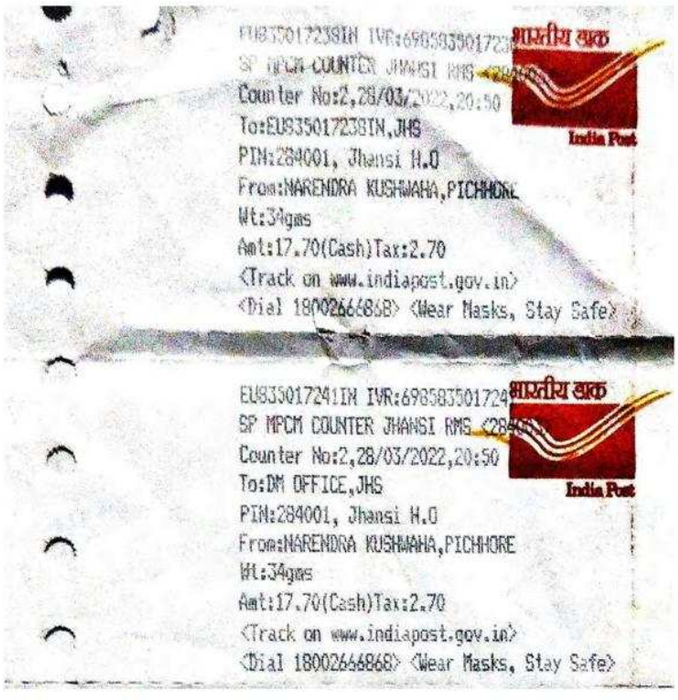

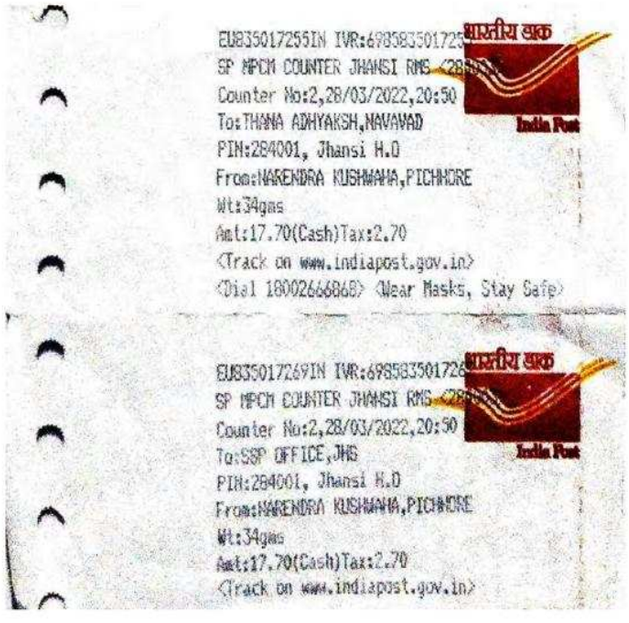

दिनांक 23.03.2022

सेवा में,

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद–झांसी।

विषय :– प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता, भाई और पुत्र के खिलाफ झूठी रिपोर्ट अपराध संख्या 114/2022 धारा 323, 504, 506, 452, 387 आईपीसी एवं 3(2)(VA) एससी/एसटी के अन्तर्गत झूठी और बदले की भावना से जेडीए उपाध्यक्ष के दबाव में लिखाई गई की निष्पक्ष जांच कराकर रिपोर्ट निरस्त कराने एवं प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के खिलाफ झूठी रिपोर्ट कराने वालों के खिलाफ और दिनांक 13.03.2022 को घटित घटना की एफ.आई.आर. दर्ज कराने के बाबत।

महोदय जी,

सविनय प्रार्थी निम्न निवेदन करता है:–

1. यह कि प्रार्थी नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना लाल कुशवाहा, (आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता) निवासी पिछोर थाना नबावाद झांसी का है।

2. यह कि प्रार्थी ने झांसी महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टी, खेल के मैदान, पार्को और हरियाली आदि को बचाने के लिए प्रयासरत आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता है।

3. यह कि प्रार्थी ने भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों के अंतर्गत हरियाली और पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य कर रहा है और मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है। जिसके कारण झांसी महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टी, खेल के मैदान, पार्को और तालाब आदि की भूमियों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने/कराने वाले व्यक्ति एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण प्रार्थी से रंजिश रखने लगे है जो प्रार्थी को इस कार्य को करने से रोकने के लिए ऐन केन प्रकारेण, षड्यंत्र कर प्रार्थी को गंभीर चोट व छति पहुंचाने के उद्देश्य से घटनाएं घटित कर रहे है।

4. यह कि झांसी महायोजना में प्रस्तावित नगर पार्क को अतिक्रमण से मुक्त व विकसित कराने को लेकर प्रार्थी व विद्वान अधिवक्ताओं, समाजसेवियों एवं सहयोगियों के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान चलाकार शिकायती पत्र शासन–प्रशासन को भेजा था। जिस पर कार्यवाही न होने पर प्रार्थी व विद्वान अधिवक्ताओं, समाजसेवियों एवं सहयोगियों के साथ मिलकर मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में शिकायतें की गई थी, उक्त शिकायतें पर मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा मूल प्रार्थना संख्या 114/2021 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व मूल प्रार्थना संख्या 165/2021 गिरजा शंकर राय व एड. बी.एल. भास्कर व नरेन्द्र कुशवाहा व प्रदीप कुमार नामदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दर्ज किये है। जिसमें मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली द्वारा शासन–प्रशासन से मामले की जांच कर स्थलीय आख्या (स्टेटस रिपोर्ट) प्रेषित करने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के क्रम में गठित की गई समिति ने अवैध कॉलोनियां बसाने वाले भू–माफियाओं व अवैध निर्माणकर्ताओं/अतिक्रमणकर्ताओं को लाभ पहुंचाने एवं अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों व अनाधिकृत कब्जों को बचाने के लिए, मात्र खानापूर्ति के नाम पर स्थलीय निरीक्षण किए बिना जांच किए मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी स्थलीय आख्या (Status Report) तैयार कराकर दिनांकित 22.11.2021 को मा. न्यायाधिकरण को गुमराह करने के उद्देश्य से प्रेषित कर दी थी। मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को उक्त स्थलीय आख्या

पेज नं. 2

(Status Report) की सत्यता बताने के लिए हम याचिकाकर्ताओं ने साक्ष्यों के साथ आपत्ति प्रेषित की थी। उपरोक्त स्थलीय आख्या और आपत्ति में दिये गए साक्ष्यों की पुष्टि करने के लिए मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2022 को MoEF&CC, CPCB, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, विभाग की एक संयुक्त समिति का गठन कर वन एवं पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 एवं संभागीय आयुक्त, झाँसी, मौके का निरीक्षण, संबंधित अभिलेखों की जांच कर दो महीने के भीतर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया है।

5. यह कि मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली। के आदेश दिनांक 25 जनवरी 2022 के क्रम गठित की गई समिति द्वारा की जा रही जांच व कार्यवाही में पूर्व पारित आदेश दिनांक 12 जुलाई 2021 के क्रम में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गई स्थलीय आख्या दिनांकित 22 नवम्बर 2021 और स्थलीय आख्या देने वाले अधिकारीगण जांच के घेरे में आ जाने और प्रार्थी द्वारा उपरोक्त केसों में साक्ष्य प्रेषित करने हेतु आरटीआई के तहत झांसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, कार्यालय जिलाधिकारी झांसी और कार्यालय मंडलायुक्त झांसी के जन सूचना अधिकारियों से सूचनाएं मांग कर साक्ष्य इकट्ठा करने आरटीआई दायर कर दी जिसके कारण तथाकथित स्थलीय आख्या दिनांकित 22 नवम्बर 2021 प्रेषित करने वाले समस्त सदस्य और जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा, ए.टी.पी. जितेन्द्र सिंह एवं जेडीए के अन्य अधिकारी–कर्मचारी जो अवैध निर्माण कराने में संलिप्त और अवैध निर्माणकर्ता याचिकाकर्ताओं से व्यक्तिगत रजिंश रखने लगे है। ये सभी प्रार्थी और सहयोगी याचिकाकर्ताओं को पैरवी करने से रोकने के लिए कई माध्यमों से परेशान कर रहे है और उपरोक्त की बात प्रार्थी द्वारा न मानने पर जान से मारने की धमकी दे रहे है। जिसका शिकायती पत्र दिनांक 25. 02.2022 को हम याचिकाकर्ताओं ने श्रीमान् मंडलायुक्त महोदय, झांसी व श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, झांसी व श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक महोदय, जिला झाँसी, को दिया गया था।

6. यह कि दिनांक 13 मार्च 2022 को सुबह लगभग 11:55 बजे जब प्रार्थी नरेन्द्र कुशवाहा व प्रार्थी के पिता व भाई घर पर नहीं थे तभी रंजिशन मानने वाले जेडीए उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव, त्रिभुवन विश्वकर्मा, एटीपी जितेन्द्र सिंह व जेडीए के अज्ञात अधिकारियों–कर्मचारियों के साथ पुलिस लेकर प्रार्थी के घर पर आये और प्रार्थी का नाम लेकर धमकी देने लगे और जेडीए उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित ने पुलिस वालों से डंडा लेकर प्रार्थी के घर पर लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया और दूसरा सीसीटीवी कैमरा पुलिस कर्मियों ने डंडा मारमार कर तोड़ दिया जब तक कैमरे टूटे नहीं तब तक इन लोगों की पूरी फिल्म कैमरे में रिकॉर्ड होती रही, कैमरे तोड़ने के बाद पदनीयती से जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित प्रार्थी घर के अन्दर बुरी नियत से प्रार्थी की माता व महिलाओं को ढक्का देते हुए व झंझोरते हुए जेडीए के कर्मचारियों के साथ कमरों के अन्दर घुस कर प्रार्थी को तलाशा महिलाओं के द्वारा रोकने पर आंतरिक शारीरिक सम्पर्क कर आपराधिक बल का प्रयोग महिलाओं के साथ किया, जिससे उन महिलाओं की लज्जा भंग हुई। उपरोक्त की घर में घुसने तक की घटना सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में देखा जा सकता है।

7. यह कि जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा, एटीपी जितेन्द्र सिंह और जेडीए के अधिकारियों–कर्मचारियों की ये सरकारी ड्यूटी नहीं है कि वे महिलाओं गंदी गंदी गालियां दें, जान से मारने की धमकी दें, सबूत मिटाने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरा तोड़े, प्रार्थी के घर की महिलाओं को बदनियती से पकड़े, महिलाओं की लज्जा भंग करें, इस प्रकार झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा, एटीपी जितेन्द्र सिंह और उक्त घटना में संलिप्त जेडीए के अधिकारियों–कर्मचारियों व साथ आये अज्ञात पुलिस कर्मियों ने जघन्य, संज्ञेय अपराध प्रथम दृष्टता कारित किया गया है। इन अधिकारीगणों ने सरकारी पदीय कर्तव्य से हटकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए पदीय कर्तव्यों के विमुख

पेज नं. 3

अपराध कारित किया है। अभी तक इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नही की गई है। घटना की दिनांक से लगातार प्रार्थी ने पुलिस एवं अधिकारियों को जा जाकर शिकायतें दी।

उपरोक्त गंभीर घटना की शिकायतें एवं सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज फोटो जिसमें कैमरे इन लोगों द्वारा तोड़ते हुये दिखाया जा रहा है। संलग्न है।

8. यह कि झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित आदि द्वारा 13 मार्च 2022 को प्रार्थी के घर किये गए आपराधिक कृत्य से बचने और प्रार्थी पर दबाव बनाने व क्रॉस केस करने के लिए झूठी घटना दिखाकर प्रार्थी नरेन्द्र कुशवाहा व प्रार्थी के पिता श्री मुन्नालाल कुशवाहा व भाई अरविन्द कुशवाहा और पुत्र निखिल कुशवाहा के खिलाफ दिनांक 14.03.2022 की फर्जी/झूठी घटना बनाकर एक हरिजन व्यक्ति (अवैध निर्माणकर्ता) विनोद वंसकार पुत्र उत्तम सिंह निवासी नारायण बाग पिछोर, थाना नवाबाद, झांसी से फर्जी/झूठा शिकायत पत्र में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता व भाई और पुत्र द्वारा अवैध मांग, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने, घर में घुसकर गाली गलौच, मारपीट की झूठी घटना तैयार कराकर दिनांक 16.03.2022 को थाना नबाबाद में अपराध संख्या–114/22 धारा–323, 504, 506, 452, 387 आई.पी.सी. व 3(2) एस. सी./एस.टी. एक्ट की दर्ज करा दी, इस झूठे मुकदमे से प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को गहरा सदमा व इन्जरा पहुंची है। जबकि प्रार्थी द्वारा मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में की गई शिकायत और पारित आदेश में अवैध निर्माण करने वालों में प्रार्थी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने वालों के नाम अंकित है और उनके अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित है।

9. यह कि झांसी महायोजना में प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर विनोद वंशकार आदि द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को रोकने हेतु झांसी विकास प्राधिकरण कि ओर से दिनांक 30.01.2020 को थानाध्यक्ष, नवाबाद झांसी को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 के तहत पत्र प्रेषित किया गया था, जिस पर पुलिस और जेडीए द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा शिकायतें पुलिस और जेडीए में की गई थी इसके बावजूद पुलिस और जेडीए ने विनोद वंशकार के द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को रोकने की कार्यवाही नहीं की जिससे विनोद वंशकार प्रार्थी से रंजिश रखने लगा था। इसी कारण से विनोद वंशकार जेडीए उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित के कहने पर प्रार्थी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार हो गया और प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के खिलाफ थाना नवाबाद में झूठा मुकददमा दर्ज करा दिया है।

10. यह कि झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा, ए. टी.पी. जितेन्द्र सिंह आदि ने विनोद वंसकार एवं उसके साथियों को रिपोर्ट लिखाने के लिए प्रेरित किया है। और आश्वासन दिया है कि उनके अवैध निर्माण गिराये नहीं जायेगें। वे नरेन्द्र कुशवाहा के पूरे परिवार के खिलाफ एस.सी./एस.टी. एक्ट की रिपोर्ट लिखवा दें। इस तरह षड्यंत्र कर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गयी है। जिससे प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार का पुलिस उत्पीड़न किया जा सके। और प्रार्थी मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में दर्ज उपरोक्त केसों में पैरवी करने से रोका जा सके।

11. यह कि झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित आदि द्वारा 13 मार्च 2022 को प्रार्थी के घर किये गए आपराधिक कृत्य से बचने और प्रार्थी पर दबाव बनाने हेतु प्रार्थी पर क्रॉस केस करने के लिए जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने अवैध निर्माणकर्ता विनोद वंसकार पुत्र उत्तम सिंह से झूठी घटना तैयार कराकर दिनांक 16.03.2022 को थाना नबाबाद में अपराध संख्या–114/22 धारा–323, 504, 506, 452, 387 आई.पी.सी. व 3(2) एस.सी./एस.टी. एक्ट की दर्ज करा दिया गया है।

पेज नं. 4

12. यह कि झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा, एटीपी जितेन्द्र सिंह आदि की मिलीभगत से अवैध निर्माण करने और कराने वाले सुदीप कुमार दीक्षित उर्फ महाराज (जो सदर विधायक रवि शर्मा का खास व्यक्ति बताता है) ने पूर्व में प्रार्थी से कहा है कि मुझे विधायक रवी शर्मा जी अपना छोटा भाई मानते है, विधायक जी के कहने पर मैं अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों से 30000/– तीस हजार रुपये निर्माण करने के और छत डालने के 50000/– हजार रुपये जेडीए सचिव को दिलाता हूं जेडीए सचिव इन रुपयों का हिस्सा उपाध्यक्ष सहित शासन प्रशासन में भेजते है। ताकि इन अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही न करने पड़े, जिसमें विधायक जी को और मुझे कमीशन मिलता है। प्लाट बेचने वाले व्यक्तियों से रुपया लेकर विधायक जी के द्वारा सरकारी योजनाओं के जरिए नाली, सड़क, बिजली, पानी के विकास कार्य सरकारी विभागों से कराये है। अभी हाल ही में सुदीप कुमार उर्फ महाराज और अर्जुन कुशवाहा ने मुझको धमकी देकर कहा कि जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने कहा है कि तुम लोगों को अपने निर्माण बचाने है तो विधायक जी से कहो कि एनजीटी में शिकायत और पैरवी कर रहे नरेन्द्र कुशवाहा को रोकें और अगर नहीं मानता है तो उसे जान से मरवा दो, तुम्हें जान से मारने के लिए विधायक जी के कहने पर मैने और अर्जुन कुशवाहा ने प्लाट बेचने और निर्माण करने वाले व्यक्तियों से दस लाख रुपया चंदा जोड़ा है, अगर तुमने एनजीटी में शिकायत और पैरवी करना बंद नहीं किया तो ये रुपया देकर विधायक जी द्वारा सुपारी दिलवाकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मरवा देंगे। नगर पार्क की भूमि को आवासीय भूमि बताकर प्लाट बेचने व अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों के द्वारा मा. एनजीटी में शिकायत करने वाले हम शिकायतकर्ताओं को पैरवी करने से रोकने के लिए कई माध्यमों से परेशान किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

13. यह कि झांसी महायोजना में प्रस्तावित हरित पट्टी, खेल के मैंदान, पार्को और तालाब आदि की भूमियों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण कराने में उन पुलिस कर्मियों की भी मिलीभगत होती है, जिन्हे अतिक्रमण व अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिम्मेदारी के बावजूद उन पुलिस कर्मियों द्वारा अतिक्रमण व अवैध निर्माणों को न तो रोका जाता और नाही अतिक्रमणकर्ताओं व निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है।

14. यह कि प्रार्थी और प्रार्थी के परिवार को दिनांक 14.03.2022 को सुबह 10:30 बजे विनोद वंसकार के घर नारायण बाग पिछोर में जबरन घुसने, जबदस्ती जेब से 5000/–रूपये निकालने व 100000/–रूपये की मांग करने, जाति सूचक शब्दों के लिए घटना बतायी गयी है। जबकी प्रार्थी स्वयं झूठी घटना में दर्शाय गये समय पर कचहरी में अधिवक्ता बी.एल. भास्कर के बस्ते पर मौजूद था। प्रार्थी के मोबाईल की लोकेशन एवं कचहरी के सी.सी.टी.वी. कैमरा में प्रमाण के तौर पर मौजूद है। इसके अलावा झूठी घटना में दर्शाय गये प्रार्थी का पुत्र निखिल कुशवाहा घटना में दर्शाय गये समय पर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, ग्वालियर रोड, झांसी पर स्थित कार्यालय में उपस्थित था। जिसको कार्यालय के सी.सी.टी.वी. फुटेज में देखा जा सकता है। प्रार्थी के पिता सब्जी का ठेला लेकर गुमनावारा, पिछोर में फेरी लगाकर सब्जी बेच रहे थे तथा भाई अरविन्द पैरा मेडीकल के पास लाईट फिटिंग का कार्य कर रहा था। प्रार्थी व प्रार्थी के पिता, भाई और पुत्र उपरोक्त घटना में दर्शाय गये समय पर घटना स्थल पर नहीं थे। सभी के मोबाईल फोन लोकेशन व फुटेज विवेचक द्वारा लेने व देखने जाने पर पूरी घटना झूठी होने की सच्चाई व झूठी घटना सामने आ जायेगी।

15. यह कि उपरोक्त घटनाओं से संबंधित सभी व्यक्तियों के मोबाइल फोन लोकेशन व मुवमेंट की CDR एवं सीसीटीवी फुटेज बरामद कर, जांच करना अति आवश्यक है क्योकि इलेक्ट्रोनिक्स

पेज नं. 5

साक्ष्य झूठ नहीं बोलते है, इनको विवेचक विवेचना में गंभीरता से जांच का हिस्सा बनाएं। और इस प्रार्थना पत्र व संलग्न साक्ष्यों को विवेचना का हिस्सा बनाया जाये।

16. यह कि दिनांक 16.03.2022 को थाना नवाबाद में दर्ज झूठे अपराध संख्या–114/2022 के षड्यंत्र में संलिप्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिए, उक्त सभी व्यक्तियों के मोबाइल फोन लोकेशन व मुवमेंट की CDR एवं सीसीटीवी फुटेज वरामद कर, जांच करना व विवेचना किया जाना अति आवश्यक है।

17. यह कि मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में दर्ज वादों और फाइल की गई आर.टी. आई में पैरवी करने से रोकने के लिए दिनांक 13 मार्च 2022 को जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित द्वारा कारित की गई आपराधिक घटना के बाद से लगातार जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थी के घर पर ईटों, गुम्मों से हमला कराया जा रहा है। प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को निःशुल्क सुरक्षा दिलाये जाने एवं दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

श्रीमान् जी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई, दिल्ली में प्रार्थी द्वारा की गयी कार्यवाही के बदले की भावना के कारण उपरोक्त एफ.आई.आर. अपराध संख्या–114/22 थाना नबाबाद में प्रार्थी व प्रार्थी के पूरे परिवार के विरुद्ध दर्ज कराई गयी है। उसकी निष्पक्ष विवेचना पुलिस अधीक्षक (नगर) साहब की निगरानी में कराकर निरस्त कराने की कृपा करें। एवं दिनांक 13 मार्च 2022 अपराधिक कृत व दिनांक 14.03.2022 की झूठी घटना दिखाकर दिनांक 16.03.2022 को थाना नबाबाद में झूठा अपराध संख्या–114/22 दर्ज कराने वाले व्यक्तियों के खिलाफ संजय अपराधिक धाराओं में प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर उच्च स्तरीय निष्पक्ष व स्वतंत्र स्पेशल टीम द्वारा निष्पक्ष, प्रॉपर, गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी व वैज्ञानिक विवेचना सुनिश्चित कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें।

अतः श्रीमान् जी प्रार्थी द्वारा आग्रह प्रार्थना है कि झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा, ए.टी.पी. जितेन्द्र सिंह व जेडीए के अज्ञात अधिकारियों–कर्मचारियों ने दिनांक 13.03.2022 को घर पर जाकर उपरोक्त घटना की जिसके प्रमाण में संलग्नक सी.सी.टी.वी. कैमरा की फुटेज की फोटो है। इस जघन्य अपराध एवं प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के खिलाफ थाना नबाबाद में झूठी रिपोर्ट कराने वालों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त लोगों के खिलाफ दर्ज किये जाने की कृपा करें।

श्रीमान् जी महान कृपा होगी।

दिनांक 23.03.2022

संलग्न :–

1. एफ.आई.आर 114/2022
2. मा. एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2022
3. जेडीए पत्र दिनांक 30.01.2020
4. प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2022
5. प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2022
6. प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2022 (2)
7. प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2022
8. टाइमलाइन से ली गई प्रार्थी के मोबाइल की लोकेशन
9. दिनांक 13.03.2022 व 15.03.2022 घटना की फोटो

प्रार्थी

नरेन्द्र कुशवाहा

नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री मुन्ना लाल कुशवाहा
(आर0टी0आई0/सामाजिक कार्यकर्ता)
नि0–पिछोर, थाना–नवाबाद, झांसी
मो0न0 9452041529

प्राप्ति प्रति 25.2.2022

सेवा में,

1. श्रीमान् मंडलायुक्त महोदय, झांसी।
2. श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, झांसी।
3. श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक महोदय, जिला झाँसी।

विषय :– जान माल की सुरक्षा कराये जाने के संबंध में,

महोदय,

झांसी महानगर के पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु शासन द्वारा झाँसी महायोजना में प्रस्तावित नगर पार्क एवं लक्ष्मी तालाब की भूमि को जिला प्रशासन व झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से भू–माफियाओं द्वारा आवासीय भूमि बताकर प्लाट बेच रहे थे। जिसकी शिकायतें झांसी महानगर वासियों द्वारा शासन–प्रशासन व मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में की गई है, उक्त शिकायतों पर ओ.ए. संख्या 165/2021 गिरजा शंकर राय व एड. बी. एल. भास्कर व नरेन्द्र कुशवाहा व प्रदीप कुमार नामदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दर्ज किये है। जिसमें मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा केंद्रीय व राज्य स्तर पर टीम गठित कर जांच व कार्यवाही हेतु आदेश पारित किए गए है।

जिसके कारण नगर पार्क की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति पैरवी कर रहे हम शिकायकर्ताओं से रंजिश मानने लगे है, अभी हाल ही में सुदीप कुमार उर्फ महाराज और अर्जुन कुशवाहा ने नरेन्द्र कुशवाहा को धमकी देकर कहा कि जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने कहा है कि तुम लोगों को अपने निर्माण बचाने है तो विधायक जी से कहो कि एनजीटी में शिकायत और पैरवी कर रहे नरेन्द्र कुशवाहा को रोकें और अगर नहीं मानता है तो उसे जान से मरवा दो, तुम्हें जान से मारने के लिए विधायक जी के कहने पर मैने और अर्जुन कुशवाहा ने प्लाट बेचने और निर्माण करने वाले व्यक्तियों से दस लाख रुपया चंदा जोड़ा है, अगर तुमने एनजीटी में शिकायत और पैरवी करना बंद नहीं किया तो ये रुपया देकर विधायक जी द्वारा सुपारी दिलवाकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मरवा देंगे।

गत दिवस 21.02.2022 शाम 6 बजे घर आते समय निज निवास से पहले एक महिला पुरूष प्रार्थी (गिरजा शंकर राय) का नाम लेते हुये मिले और प्रार्थी का मोबाइल नम्बर माँगा जिस पर मिसकॉल का मैसेज आया प्रार्थी को जो अपना गलत नाम बताया मोबाइल मिसकॉल से जतनम बंससमत पर नाम आया डॉ मंगल रायकवार के नाम से आ रहा है। अपने साथ महिला से कहा पहचान लो यही गिरजा शंकर राय है इनका हम सब सम्मान करेगे। जब प्रार्थी द्वारा पूछा गया किस बात का सम्मान करेगे। महिला व पुरूष एक साथ कहने लगे तुमने हमारे मकान तुडवाने के लिए एनजीटी में शिकायत की है अब हम तुम्हे तुडवा देगे। प्रार्थी यह बात सुन घबरा गया पुछा ऐसा क्यो कह रहे

....2

हो तब प्रार्थी को बताया कि हमसे नगर निगम और जेडीए के अधिकारियों ने कहा है कि अगर तुम लोगों को अपने निर्माण बचाने है तो एनजीटी में इस मामले की पैरवी कर रहे गिरजा शंकर राय, बी.एल. भास्कर, नरेन्द्र कुशवाहा, प्रदीप नामदेव को किसी भी तरह पैरवी करने से रोको तभी तुम लोगो के अवैध निर्माण बचेंगे। हम तुम्हे समझाने आये है। अगर अब तुम लोगो ने कोई शिकायत या एनजीटी में अवैध निर्माणों के खिलाफ पैरवी की तो हम तुम सबको देख लेगे जो अशब्द अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए कहां कि जहाँ तुम लोग मिलोगे वहीं तुम लोगों को मारेंगे। प्रार्थी किसी तरह जान बचाकर भागा।

यदि एनजीटी में पैरवी कर रहे प्रार्थी एवं एडवोकेट श्री बी.एल. भास्कर, श्री नरेन्द्र कुशवाहा, श्री प्रदीप नामदेव जी के साथ या हम लोगों के परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के साथ–साथ झांसी प्रशासन की होगी।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही करने एवं एनजीटी में पैरवी कर रहे प्रार्थी एवं एडवोकेट श्री बी.एल. भास्कर, श्री नरेन्द्र कुशवाहा, श्री प्रदीप नामदेव जी के साथ या हम लोगों के परिवार की जान माल की सुरक्षा करने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक 23.02.2022

भवदीय

(गिरजा शंकर राय पुत्र स्व. श्री सेवा राम राय)
मकान न. 201 वार्ड न.24 सिमराहा
थाना सदर, बाजार झाँसी।
मोबाइल न. 9935816550

(एडवोकेट बी.एल. भास्कर)
एन.ए.सी. कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट के
गेट नं 1 के सामने, कचहेरी झांसी।
मोबाइल न. 9453665795

नरेन्द्र कुशवाहा
(आर.टी.आई / सामाजिक कार्यकर्ता)
निवासी– पिछोर, थाना नबावाद, झांसी (उ.प्र.)
मो. 9452041529

(प्रदीप कुमार नामदेव पुत्र श्री वैदेही शरण)
अशोक नगर मोठ, जिला झांसी।
मो. 9450503059

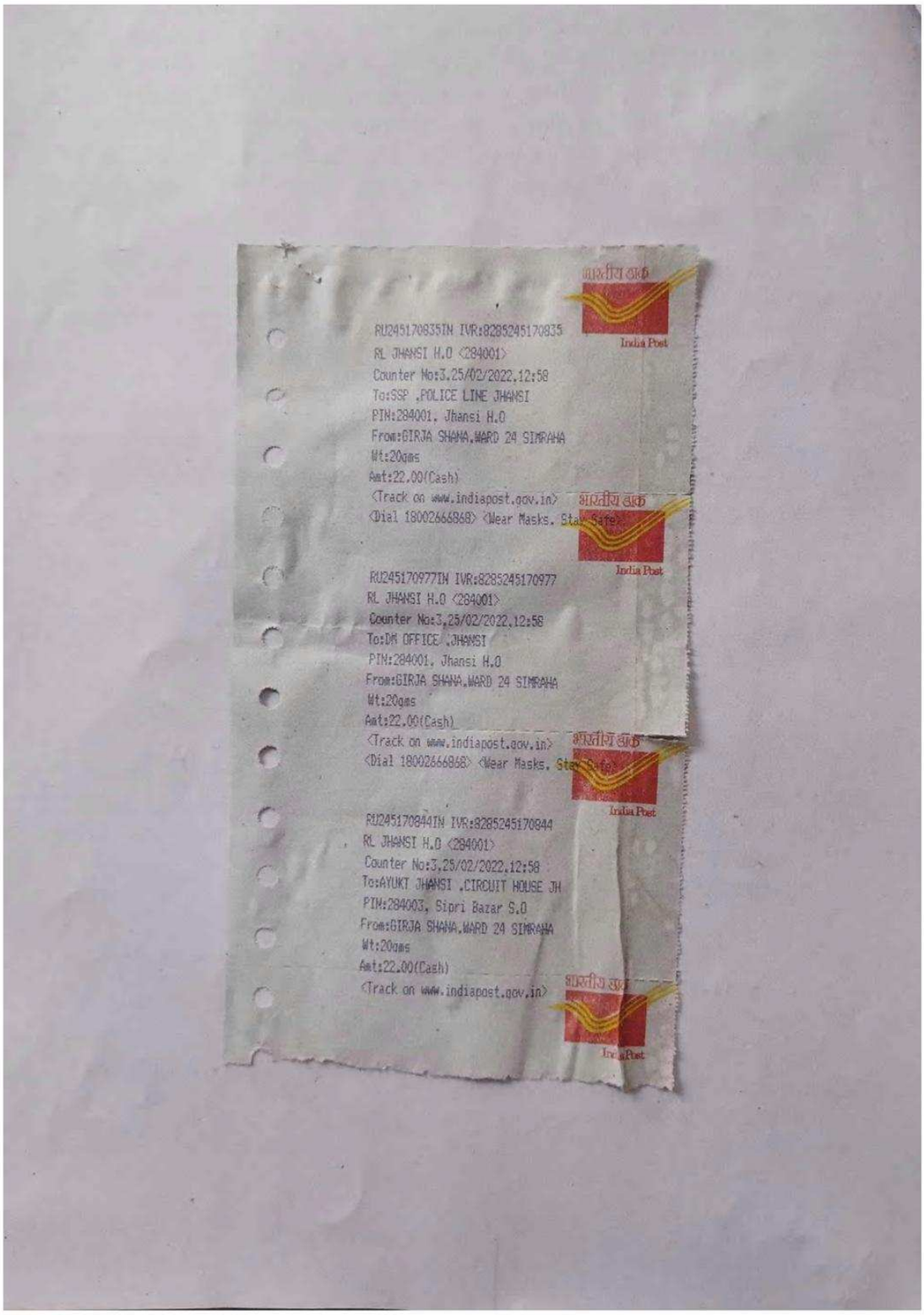

भारतीय डाक
India Post

RU245170835IN IVR:8285245170835
RL JHANSI H.O <284001>
Counter No:3,25/02/2022,12:58
To:SSP ,POLICE LINE JHANSI
PIN:284001, Jhansi H.O
From:GIRJA SHANA,WARD 24 SIMRAHA
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक
India Post

RU245170977IN IVR:8285245170977
RL JHANSI H.O <284001>
Counter No:3,25/02/2022,12:58
To:DM OFFICE ,JHANSI
PIN:284001, Jhansi H.O
From:GIRJA SHANA,WARD 24 SIMRAHA
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक
India Post

RU245170844IN IVR:8285245170844
RL JHANSI H.O <284001>
Counter No:3,25/02/2022,12:58
To:AYUKT JHANSI ,CIRCUIT HOUSE JH
PIN:284003, Sipri Bazar S.O
From:GIRJA SHANA,WARD 24 SIMRAHA
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>

भारतीय डाक
India Post